Central Administrative Tribunal
Lucknow Bench

Cause Title TA 1635/86 of 1993

Name of the Parties Manni Lal Nigam ... Applicant

Versus

Union of India ... Respondents.

Part A . P.C

Sl. No.	Description of documents	Page
1.	Check List	
2.	Order Sheet.	A1 A6
3.	Judgement. dt 29/5/92	A7 A8
4.	Petition Copy .	
5.	Annexure .	
6.	Power .	
7.	Counter Affidavit.	A9 A20
8.	Rejoinder Affidavit.	A21
	complete file No R.Suit No. 123/85 In the court of Civil Judge Unnao.	
	B - File	
	Supply C.A	A21, A25
	misc application	A26 A35
	B - File	
	B/C	
	C - ~~File C 31 - C 44~~	

(1) ~~Writ Petition/Petition~~

(1) Writ Petition/Petition A9 to A35
(2) Stay application for stay A36 to A96
(3) Counter Affidavit A97 to A115
(4) Rejoinder Affidavit A116 to A119
(5) dt 16-8-88 Cont. A120 to A120
(6) Notice A131 to A132
(7) Power A133 to 138

Recheck on 23-2-12

Fake B/C destroyed on 09-5-12

SO (J)

Order Sheet

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
ADDITIONAL BENCH ALLAHABAD

Reg No. 1635 (T) of 1986

Manni lal vs. Union of India

Date	Note of progress of proceedings and routine orders	Date to which case is adjourned
1	2	3
	Office Report this is a original suit No. 123/85 Transferred from the Court of Civil Judge Unnao. Notices were issued fix up 31-12-86. both the parties by Regd Post. Notices were not Received back after Service Expt. one notice to Laxmi Narain Advocate civil court Unnao. with "Remark" इस नाम का कोई पता नहीं चलता लिफाफा वापस" Submitted. मंत्री	
31.12.86	No Sitting Adjourned to 29.1.87 as requested by the Ld. off Pard. Sri [illegible] Singh has filed his vakalatnama today.	

Bor

आ० अ० अ-18
I. A. T-1

आदेश पत्रक
ORDER SHEET

अपील / निर्देश आवेदन रजिस्टर में सं०
No. in Reference Application / Appeal Register

TA 1635/86 (T)

अपील अनिकरण
Appellate Tribunal

अपीलार्थी / आवेदक
Appellant / Applicant

अपीलार्थी / आवेदक द्वारा — बनाम — प्रत्यर्थी
Appellant / Applicant — Vs. — *Respondent*

प्रत्यर्थी द्वारा
Respondent

आदेश की क्रम संख्या और तारीख Serial number of order and date	संक्षिप्त आदेश, निर्देश देते हुए, यदि आवश्यक हो Brief order, mentioning reference, if necessary	पालन कैसे हुआ और पालन करने की तारीख How complied with and date of compliance
28/7/87	Hon. D.S. Misra — AM Hon. G.S. Sharma — JM Sri N.N. Singh is present for the plaintiff. None is present for the defendants. This suit was filed after 1-11-85 and the learned counsel for the plaintiff wants time to study the legal position regarding maintainability of this suit. So the case is adjourned to 3/8/87 for hearing. AM JM.	
3.8.87	Hon D.S. Misra — AM Hon G.S. Sharma — JM On the application of Defendants' counsel, the case is adjourned to 17.9.87 AM JM	

(प०उ०/P.T.O.)

TA - 35/86

Order sheet

(BB)

19/4/88

Hon. D.S. Misra - Am.
Hon. G.S. Sharma - Jm

On the request of learned counsel for the plaintiff, the case is adjourned to 4/8/88 for hearing.

Jm.

Am.

4/8/88

Hon. D.S. Misra - Am.
Hon. G.S. Sharma - Jm

Shri H.B. Singh files his vakalatnama for the applicant. Shri N.B. Singh is present for the respondents and states that this case is not maintainable here and it was wrongly transferred by the civil court. Shri H.B. Singh is not prepared on this point and requests for time to study. He is allowed time to do the same. The case is adjourned to 16/8/88 for hearing on the question of maintainability of the petition.

Jm

Am

(AM) T.A. 1635-86

31.3.89 No sitting adj. to 7.4.89 for hearing. R.A. filed today. B

7-4-89

Hon. K. J. Raman, AM
Hon. D.K. Agrawal, JM

Sri N.B. Singh for the applicant and Sri R.P. Singh, brief holder of Sri N.B. Singh for the respondents are present. Learned counsel for the applicant wants to file an application, allowed to do so within a week. Objection, if any, be filed thereafter within a week. List it for orders on 29.6.89.

AM.

J.M.

OR

This file has been received in the month of April.

OR

This file has been received from Bld. in the month of April after fixing today's date to put up before Hon'ble Court.

Submitted for orders

28/6

1635/87 T.

Counsel for the applicant is present. As a Special Case the notice of hearing be issued to respondents & their counsels. Call on 17.10.1990 for final hearing.

J.M

A.M 13/8

on

notice issued on 22/8/90

17.10.90 No sitting Adj to 21.11.90

21.11.90 Hon. Mr Justice K. Nath V.C
Hon. Mr M.M. Singh A.M.

OR
Notices were issued on 22.8.90.
No counsel rep[illegible]
Case has been adv[illegible]
S.F.H
19/11/90

On the request of counsel for respondent case is adjourned to 30.1.91

M.M.
A.M.

V.C

30.1.91 - No sitting A.M. to 11.3.91.

11.3.91 - No sitting adj to 19.3.91.

19.3.91 - No sitting adj to 15.5.91.

15.5.91 No Sitting Adj to 30.7.91

30.7.91 No Sitting adj to 18.9.91

18.9.91 Case not reached adjourned to 30.12.91

Boe

CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL, LUCKNOW BENCH

LUCKNOW

T.A. No. 1635/86

(R.S. 123/83

Munni Lal Nigam — Petitioner

versus

Union of India & others — Respondents.

Hon. Mr. Justice U.C.Srivastava,V.C.
Hon. Mr. A.B. Gorthi, Adm. Member.

(Hon. Mr. Justice U.C.Srivastava,V.C.)

This is a transferred case from the court of Civil Judge,Unnao where the plaintiff filed a Civil suit for declaration that the order passed by the Superintendent of Post Offices, Kanpur Division, retiring the plaintiff on the basis of superannuation on 27.12.85 be declared void and illegal, as he had not completed the age of 65 years, xxxx, yet the order retiring him was passed. The applicant was working as Extra Departmental Branch Post Master and he joined the said post in the year 1949 which may indicate that what was his date of birth and he was never required to file any document and in the year 1984 he was retired and under the contract of service he was to continue in service till the age of 65 years.

2. The respondents, refuting the claim of the applicant stated that the applicant's age at the time of his appointment on 18.10.49 was noted as 37 years in his application dated 18.10.49.As per register of Extra

एच० सी० जे० प्रपत्र सं० 68, भाग 8
H. C. J. Form No. 68, Part VIII

न्यायालय

बादी संख्या सन् 19 ई०

(मु० सं० 123) वादी प्रति प्रतिवादी

अभिलेखों की सूची जो [illegible] वादी/प्रतिवादी की ओर से दाखिल किये गये

इस सूची को ने आज दिनांक मास

सन् 19 ई० को दाखिल किया ।

क्रमिक-संख्या अथवा अक्षर	अभिलेख का प्रकार अर्थात् मूल अथवा प्रतिलिपि तथा लेखक का नाम और प्रकार इत्यादि	अभिलेख का दिनांक	पंजीकृत अथवा अपंजीकृत	यदि साक्ष्य में दाखिल होने के लिये पेश किया जाय तो दिनांक		टिप्पणी	पक्षकार अथवा अभिवक्ता के हस्ताक्षर उन अभिलेखों के सम्बन्ध में जो अस्वीकृत अथवा वापस हो दिनांक सहित
				स्वीकृत	अस्वीकृत		
1	2	3	4	5		6	7
ख 1	[illegible]	1	—	—	16/1/85		
ख 2	[illegible]	1	—	—	11		
ख 3	वादपत्र मय सही प्रति	15			4		
ग 4	फर्द पता	1	—	—	[illegible]		
ग 5	वकालतनामा	1	2	1-50	4		
ग 6	प्रतिलिपि	2	2	1-50	4		
ग 7	इत्तिला नामा	2	2	2-00	4		
ग 8	फर्द तामील	1	+	—	1		
ग 9	नोटिस 80 CPC की प्रति	4	—	—	4		
ग 10	रसीद रजिस्ट्री	1	—	—	1		
ग 11	रसीद एक्नालेजमेन्ट	2	—	—	4		
ग 12	अर्जी प्रार्थना पत्र	2	2	1.50	9/12/05		
ग 13	इत्तिलानामा	2	2	2/-	5		

टिप्पणी—जो अभिलेख न्यायालय में प्रचलित देशी भाषा अथवा अंग्रेजी में लिखित न हो, तो उसका सही अनुवाद न्यायालय में प्रचलित भारतीय भाषा में उनके साथ दाखिल किया जायगा । यदि कोई अभिलेख न्यायालय में प्रचलित देशी भाषा में लिखित हो, परन्तु प्रचलित साधारण लिपि के अतिरिक्त किसी अन्य लिपि में लिखित हो, तो उसकी सही प्रतिलिपि प्रचलित लिपि में उसके साथ दाखिल होनी चाहिए ।

पी० एस० यू० पी०—0456 उ० न्याया०—16-2-'83—1,00,000 (जाब) ।

In the Court of Civil Judge
Civil Suit No 123/85
Manilal Rajput A/o 1.34
vs. Union Bank of India.

Index

क्र 34	[illegible]	1	—	—	—	25-1/06.
ग 35	आपत्ति	3	2	1-50	—	
ग 36	[illegible]	36	2	2-0	—	
क्र 37	[illegible]	1	—	—	—	
क 38	[illegible]	1	—	—	—	
ग 39	[illegible]	1	—	—	—	
ग 40	[illegible]	1		2-1-50		
ग 41	[illegible]	1		—		3-2-06
ग 42	[illegible]	1		2-150	—	12-2-06
ग 43	[illegible]	1				
ग 44	[illegible]	1	—	—	—	21-5-06
ग 46	[illegible]	2	—	2-1-50	—	
ग 47	[illegible]	1	—	2.1.50	—	2.7.06
ग 48	[illegible]	1				19/06
क 49	[illegible]	2				239/06
ग 50	[illegible]	1			—	—
घ 51	[illegible]	2	1	05	—	—
क 52	[illegible]	1	—	—		
योग		94	41	34-25		

प्रमाणित किया जाता है कि
ऊपर लिखा सही व दुरुस्त है
पारिश्रमिक Rs 34.25 चुका है

न्यायालय — सिविल जज, उन्नाव

पृष्ठ

दी० वाद सं० 123/85

मन्नीलाल — वादी

बनाम

यूनियन ऑफ इंडिया आदि — प्रतिवादीगण

प्रस्तुत करने की तिथि 22.11.85

वाद प्रकार — अधिकार घोषणा

मूल्यांकन वाद — 25000/ रुपया

अधिवक्ता वादी — श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी एडवोकेट

अधिवक्ता प्रतिवादी — श्री

(1) 22.11.85 वाद पत्र प्रस्तुत हुआ। रिपोर्ट मुलाहिजा सहित अवलोकन किया गया।

पंजीकृत हो। विपक्षीगण को सम्मन दि. 23/12/85 वादी प्रतिवादगण व दि. 13-1-86 अवधि नियत पेश हो।

अ० सिविल जज 16.11.85
उन्नाव

10/11/85 Form No. 20, Rule 22.

आ० 6 पर हस्ताक्षर श्री मन्नी विपक्षीगण ने आ० 6 श्री हस्ताक्षर होते दिनांक 9-12-85 से रिपोर्ट नोटिस भेजे जाने की तारीख से 15 दिन में।

26/11

In the court of civil Judge
Chhatarpur.

O.S. no. 123/85
Manoharlal Jain vs Union of
India + others.

(5) 21.12.85 C2-17 appl. by pltff for issuing
ptcdts for defendant
no. 2 only and expenses
for the same legal ahbhid.

Hd. Both the deftts are
to be served, hence steps
be taken for deftt. no 1 & 2.
Disposed of accordingly.

Sd/-
Steps not taken
23/12/85

23.12.85. Called Mr.
Pltfs counsel is
present. Deftts do not
respond. The file shows that
no steps have been taken
as ordered earlier. Hence
steps be taken within 7
days. Fix 1.1.86 for disp. 7-

Rs. No. 123/85

Mannilal Nigam vs Union of India

Contd

Para 25 Reply to stay application. Keep on file.

Para 26 for authorise counsel keep on file.

Para 27 by Adv. cancellation of all papers filed by deft. Inside objection and put up on 15/1/86 for disposal

C.J.

15/1/86

4.1.86 पैरा 28 वादी द्वारा प्रतिवादी को [illegible] 18.10.49 तक [illegible] प्रतिवादी [illegible] प्रतिवादी [illegible] वादी का [illegible]

[illegible]

13/86 [illegible] 15.1.86 को [illegible]

[illegible]

C.J. Pandey

[illegible] 18/3

RS- 123/85

[illegible] A/14

16/1/86 [illegible] 33 [illegible]

[illegible]

[illegible]

Issue notice to deft/s fixing 25.1.86 for disp. Copy be given to deft/s.

25.1.86. Called Mr.

The perusal of the plaint clarifies that the same pertains to service matter. Let the case be sent to Central Services Tribunal Alld. for disp. The [illegible] to make arrangement to send it to there within 15 days.

H. J. No. 10. Part IX

क्रमबद्ध आदेश-पत्र

(अध्याय 4, नियम 3)

न्यायालय सिविल जज स्थान अलीगढ़

मामला संख्या Rg. No. 123 सन् 1985 ई०

सरकार Manni Lal vs. वादी मनीराम आदि डोडुआ

प्रतिवादी

आदेश संख्या	दिनांक	आदेश अथवा आदेश का संक्षेप	मोहर्रर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
	21/7/86	20/7/86 was Sunday hence this case is taken up today. Case called and Counsel for the Pltff is present. None for the Deftt. Dis 13/8/86 for disposal of interim matter. Inform the counsel of the deftt. for the date fixed. C.J.	Judge Deftt. counsel by notice 13/8/86 for disposal of interim matter 21/7	
	13-8-86	[illegible] 21-8-86 को Interim matter के disposal के लिए पेश हो		21/8 21-8-86

For compliance

दी० एम० यू० पी० (आर० आर०)--010 30 न्या०--5-1-85--एक सौ जे० [illegible] सं० 10--500 000

न्यायालय सिविल जज उन्नाव

Reg Suit no 123/85 दि 25/8/85

मन्नीलाल vs यूनियन ऑफ इण्डिया

2/7/86 ग 47 प्रार्थना पत्र वादी की ओर से इस बात की दी कि ट्रिबुनल से पत्रावली मंगायी जावे। देखा गया।

आदेश

तारीख पेशी पर पेश हो

सिविल जज

21/7/86 पूर्व तारीख 20/7/86 को विषय का अन्तरिम मुकदमा आज पेश हुआ पुराना है। वकील वादी हाजिर है प्रतिवादी के लिये हाजिर नहीं है

आदेश

मुकदमा धारा 130/86 सिविल मिसलेनियस deleting matter. वकील प्रतिवादी हाजिर है

C.J.

Complied

12/8/86

मुकदमा की पैरवी नहीं हो रही है धारा नोटिस इश्यू नहीं है

आदेश

मुकदमा दिनांक 21-8-86 को Interim matter के disposal के लिये पेश हो

दिनांक

Civil Judge Lucknow

Reg No. 123/85

Manilal vs. Lucknow Jhada

20/9/86 Case called out. Parties counsel are present. Ruling Books have been filed today

Listed 23/9/86 for orders

23/9/86 मुकदमा मुकामा जाता अगर पत्रा हाजा किया है। आदेश प्रार्थना पत्र ग-45 प्रकरण कागज पर आज पारित किया जाता है जो कागज नम्बर क 49 है।

आदेश

प्रार्थना पत्र ग 45 स्वीकार किया जाता है तथा यह आदेश दिया जाता है कि वर्तमान वाद की पत्रावली एडीशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूनल को भेजा जाए तथा वादी दिनांक 3.11.1986 को वहां उपस्थित हो।

C. Judge, Lucknow.

8.10.86 क 52 कामल आर्डर बनाया गया P.O के हस्ताक्षर हुये आदेश अंकित मिसिल है।

C. Judge

Ruling has been given today 23/9/86

Hon'ble 23-9-86

Hon'ble

T.C

एच०सी जे० फार्म नं० ३३, पार्ट

H.C.J. Part VII. No. 33

सदर्शित करने की सूचना (आदेशात्मक रूप)

न्यायालय सिविल जज स्थान उन्नाव जिला

वाद संख्या/23 सन् 1985 ई०

मन्नी लाल निगम बनाम मुनिसिपल बोर्ड उन्नाव

श्री मुहम्मद अजीज एडवोकेट प्रतिवादी

सिविल कोर्ट कम्पाउण्ड उन्नाव को।

चूंकि उपरिलिखित वादी के इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि मुकदमा खारिज अतएव आपको एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के खिलाफ हेतु सदर्शित करने के लिए १९86 के 1/25 के दिवस को 10 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्यक्रूपेण अनुदिष्ट अपने अभिवक्ता द्वारा उपसर्जित हो, और ऐसा करने में असफल रहने पर उक्त आवेदन एकपक्षीय रूप सुना जाएगा और अवधारित किया जाएगा।

BY ORDER

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज 12 के दिवस को निकाली गई।

21-1-86

न्यायालय

न्यायालय का नाम—
वाद संख्या—
पक्षकारों के नाम—

INDIA COURT FEE 25 Rs.

पच्चीस रुपया

भारत INDIA

TWENTY FIVE RUPEES

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs. 123/85 चा 3/1 क्र 3/1

स्टाम्प 1 = 25-0
वकील 0 = 50-0
स्टाम्प 1 = 25-0
वकील 0 = 50-0
स्टाम्प 2 — 50-0
200-0

5 दफे मिसल अमानी सिविल नागरिक उपाध्यक्ष

मनोनीत — पार्टी

सीमा नगर, इन्दु नगर — पार्टी

[illegible]

INDIA COURT FEE 25 Rs.

पच्चीस रुपया

भारत INDIA

TWENTY FIVE RUPEES

COURT FEE भारत INDIA FIVE RUPEES

R s-123/85

श्रीमान सिविल जज महोदय उज्जैन

उज्जैन

मन्नीलाल ——— वादी

बनाम

मुनिमनश्याम व अन्य ——— प्रतिवादी

दावा इत्तिफाक हक

दस्तखत मन्नीलाल

दि. 20/29

INDIA COURT FEE 25 Rs.

पच्चीस रुपया

भारत INDIA

TWENTY FIVE RUPEES

रु. 25 Rs.

श्रीमान सिविल जज महोदय
हरिद्वार

मन्नीलाल ——— वादी

बनाम

यूनियन ऑफ इण्डिया आदि ——— प्रतिवादी

दावा इस्तिहार हेतु

[illegible]

[illegible]

INDIA COURT FEE 25 Rs.

पच्चीस रुपया

भारत
INDIA

TWENTY FIVE RUPEES

25 Rs.

श्रीमान सिविल जज महोदय
उज्जैन

मुकदमा नं. 1

मन्नीलाल — वादी
बनाम
यूनियन ऑफ इंडिया आदि — प्रतिवादी
दावा शपथ पत्र

मन्नीलाल

दिनांक 20.

In The Court Of Civil Judge UNNAO.

R.S. no ..... of 1984

A/27

Manni Lal Nigam s/o Vishwa Nath Prasad aged 59 yrs. r/o Shekhpur Nari — Teh. & Distt. UNNAO. ----- Plaintiff.

Vs.

1. Union Of India, through Secretary Post & Telegraph Department. DELHI.

2. The Suprintendent Post Office Kanpur, its Office at Kanpur

------ Defendants.

Suit for the declaration of the order dt. 2-8-1984 passed by the Suprintendent Post Office Kanpur, Kanpur Division under Gyapan Sankhya A-4/E.D.A./Shekhpur Nari/84-85 Kanpur. as void and illegal.

That the plaintiff begs to submit as follows:—

Para I. That the pltf is the permanent resident of Village Shekhpur Nari of Teh. & Distt UNNAO. Presently the pltf is working in the Post & Telegra

Office (department) as a Post Master at the village Shekhpur Nari branch Post Office of Teh. & Distt Unnao. The pltf joined the above mentioned service as early as in the year 1949. A.D. and was appointed by the competent authorities and was to continue the service till the age of retirement (65 yrs.) under the said contract.

Para 2. That the pltf is executing all the administrative functions of the branch office where he is posted, with full devotion and responsibility.

Para 3. That the deft no. 2, under the greed assured by some other person for appointing him as a Post Master did his utmost efforts to cause substantial damage to the pltf and ultimately he passed an order on 2-8-1984 to this effect that the pltf has completed the age of 65 yrs. and thus he is liable to be retired from his services under the order dt. 2-8-1984

Para 4. In fact, at present the pltf is only 59 yrs of age and he has not completed the age of 65 yrs. and hence the pltf is not liable to be retired from his services.

Para 5: That the order of retirement dt. 2-8-1984 is void and illegal on the following grounds:-

(A) That the age of the pltf was fixed on manipulated, forged entries made by the department without the knowledge of the pltf. And as such it can-not be made the basis of any decision for retirement.

(B) There was no document in the Post & Telegraph Department about the age of the pltf nor was the pltf ever required to submit the particulars of his age.

(C) That the pltf was born on 4th June 1925 A.D. And as such he has not completed his age of 65 yrs. as was determined by the Post & Telegraph Department.

(D) That the pltf had the vested right to continue in service till the completion of 65 yrs of age. He was not given reasonable opportunity to place the correct date of birth which could have easily demolished The order dt. 2-8-1984. And as such it affected the civil rights of the pltf and the said order was passed was only based on fradulent and forged entries as stated earlier.

Para 6 - That the applicant pltf had given an application to the inspector Post Office on 18-10-1949 for the appointment of the pltf as Post Master of the Post Office Branch at Shaikhpur Nari of Teh & Distt. UNNAO.

Para 7 - That the application for appointment was given by the pltf when the Branch Post Office at Shekhpur Nari Teh & Distt Unnao, was first established.

Para 8 - That the cause of action arose as early as on 2-8-1984 when the order aggrieved was passed by Suprintendent Post Office Kanpur, holding that the pltf has reached the age of super annuation and the pltf was served on 24-8-84 at his village Shekhpur Nari Branch Office of UNNAO Distt within the jurisdiction of the honourable court.

Amended u/o dt. 24-9-84 Srigam Adv.

Para 12 - That the valuation of the suit is rupees 15000/- only and as the suit is for declaration of a particular order hence court fee of rupees 200/- is being paid.

Srigam Adv. 24-9-84

Paras 9, 10, 11 are written on page No 5.

Para 13. That the pltf prays as follows:-

A - That the order passed by The Suprintendent Post Office Kanpur Division, retiring the pltf on the basis of super annuation on 27-12-85 be declared ~~to~~ on be void and illegal.

B - That the pltf be given cost of the suit.

9. That the pltff previously filed the Suit for declaration in this Court on 21.9.84 without serving notice u/s 80 CPC. and after seeking Permission u/s 80(2) CPC. During the pendency of the said Suit the defts alleged that ~~that~~ there being no emergency for filing the Suit without serving notice as the order dated 2-8-84 has been withdrawn. The Court on that plea decided the return of the plaint for being filed after complying sec. 80 CPC. According the Suit was returned to the pltff on 28-9-85 under orders of the Court dt. 3.9.85.

10. That after the order of return the pltff served notices u/s 80 CPC to the defts on 6.9.1985 which were served on 11.9.85 and 12.9.85 on the defts. The period of notices have expired.

11. That during the pendency of the Suit it has come to the knowledge of the pltff that defts have passed any order directing the pltff to retire on 27.12.85. ~~This~~ Although no such order has been received by the pltff so far but the pltff is still continuing in service.

c. Any other relief which the court deems fit, be given to the pltf.

15.11.85.

PLAINTIFF.

Manni Lal Nigam

Verification:-

Verified the contents of paras 1, 2, 3, 4, 5-6, 7, 8, 9, 10, 11 are true to the best of my knowledge and information collected, which is believed to be true and correct and that of para 12 and 13 is based on the legal advice received which is also believed to be true and correct.

Verified on the day 20th of Sept. 1984 at Unnao.

dt. 21-9-84.

Plaintiff

Mannilal Nigam

Ex 3 A/29
11

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE, UNNAO.

R.S.No. of 1985.

Manni Lal Nigam s/o Vishwa Nath Prasad aged 59 yrs.
r/o Shekhpur Nari, Teh. & Distt.Unnao.

..... PLAINTIFF.

V/s.

1. Union of India, through Secretary Post & Telegraph Department Delhi.
2. The Superintendent Post Offices, Kanpur, through its office at Kanpur.

..... DEFENDANTS.

In the Court of Civil Judge, Unnao

Suit for the declaration of the order dated 2.8.1984 passed by the Superintendent Post Offices,Kanpur, Kanpur Division Under Gyapan Sankhya A-4/E-D.A./Shekhpur Nari/84-85, Kanpur as void and illegal.

The plaintiff begs to submit as follows:-

Para 1. That the plaintiff is the permanent resident of village Shekhpur Nari of Teh. & Distt. Unnao. Presently the plaintiff is working in the post & telegraph office (department) as a post Master at village Shekhpur Nari branch post office of Teh. & Distt. Unnao. The plaintiff joined the above mentioned service as early as in the year 1949,A.D. and was appointed by the competent authorities and was to continue the service till the age of retirement(65 yrs.) under the said contract.

contd..2..

Para 2. That the plaintiff is executing all the administrative functions of the branch office where he is posted, with full devotion and responsibility.

Para 3. That the defendant no.2 , under the greed assured by some other person for appointing him as a Post Master did his utmost efforts to cause substantial damage to the plaintiff and ultimately he passed an order on 2.8.1984 to this effect that the plaintiff has completed the age of 65 years and thus he is liable to be retired from his services under the order dated 2.8.1984.

Para 4. In fact, at present the plaintiff is only 59 years of age and he has not completed the age of 65 years and hence the plaintiff is not liable to be retired from his services.

Para 5. That the order of ~~tex~~ retirement dated 2.8.1984 is void and illegal on the following grounds:-

(a) That the age of the plaintiff was fixed on manipulated, forged entries made by the department without the knowledge of the plaintiff. And as such it cannot be made the basis of any decision for retirement.

(b) There was no ducument in the post & Telegraph Department about the age of the plaintiff nor was the plaintiff ever required to submit the particulars of his age.

(c) That the plaintiff was born on 4th June 1925 A.D. and as such he has not completed his age of 65 yrs. as was determined by the Post & Telegraph Department.

contd...3..

(d) That the plaintiff had the vested right to continue in service till the completion of 65 years of age. He was not given reasonable opportunity to place the correct date of birth which could have easily demolished the order dated 2.8.1984. And as such it effected the civil rights of the plaintiff and the said order was passed only based on fradulent and forged entries as stated earlier.

Para 6. That the applicant-plaintiff had given an application to the Inspector Post Offices on 18.10.1949 for the appointment of the plaintiff as Post Master of the Post Office Branch at Shaikhpur Nari of Teh. & Distt. Unnao.

Para 7. That the application for appointment was given by the plaintiff when the Branch post office at Shekhpur Nari , Teh. & Distt. Unnao, was first established.

Para 8. That the cause of action arose as early as on 2.8.1984 when the order aggrieved was passed by Superintendent post offices Kanpur, holding that the plaintiff has reached the age of Super annuation and the plaintiff was served on 24.8.84 at his village Shekhpur Nari Branch office at Unnao district within the Jurisdiction of the Hon'ble court.

Para 9. That the plaintiff previously filed the suit for declaration in this court on 21.9.84 without serving notice u/s 80 C.P.C. and after seeking permission u/s 80(2) C.P.C.During the pendency of the said suit the defendant alleged that there being no emergency for

contd..4..

filing the suit without serving notice as the order dated 2.8.84 has been withdrawn. The court on that plea directed the return of the plaint for being filed after complying sec. 80 C.P.C. Accordingly the suit was returned to the plaintiff on 28.9.85 under orders of the court dated 3.9.85.

Para 10. That after the order of return the plaintiff served notices u/s 80 C.P.C. to the defendants on 6.9.1985 which were served on 11.9.85 and 12.9.85 on the defendants. The period of notices have expired.

Para 11. That during the pendency of the suit it has come to the knowledge of the plaintiff that defendant have passed another order directing the plaintiff to retire on 27.12.85 . Although no such order has been received by the plaintiff so far but the plaintiff is still continuing in service.

Para 12. That the valuation of the suit is Rs.15,000/- only and as the suit is for declaration of a particular order hence court fee of Rs.200/- is being paid.

Para 13. That the plaintiff prays as follows:-

a) That the order passed by the Superintendent Post offices Kanpur Division, retiring the plaintiff on the basis of super annuation on 27.12.85 be declared or be void and illegal.

b) That the plaintiff be given cost of the suit.

contd...5...

c) Any other relief which the court deems fit, be given to the plaintiff.

Plaintiff

Manni Lal Nigam

Unnao.

Dated 16-11-85

VERIFICATION

I, Manni Lal Nigam, plaintiff do hereby verify that the contents of paras 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 9, 10, 11 are true to the best of my knowledge and information collected which is believed to be true and correct and that of para 12 and 13 are based on the legal advice received which is also believed to be true and correct.

Verified on this 16 day of Nov. 1985 in the court compound, Unnao.

Through:-

Sri L.N. Nigam,
Advocate, Unnao,

Counsel for the plaintiff.

न्यायालय सिविल जज,उन्नाव।

उपस्थित:-श्री एस॰के॰सक्सेना,
सिविल जज,उन्नाव।
दीवानी वाद सं0:-123/85

मन्नो लाल निगम----------वादी
बनाम
यूनियन आफ इण्डिया आदि----------प्रतिवादी गण

आदेश,प्रार्थना पत्र ग-45

वादी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस प्रार्थना के साथ दिया गया कि दिनांक 15॰6॰81 का आदेश वापस लिया जाये और वादी का मुकदमा इसी न्यायालय में सुना जाये।

संक्षेप में वादी द्वारा यह वाद यह कहकर योजित किया गया था कि वह ग्राम शेखापुर नारी तहसील व जिला उन्नाव का स्थायी निवासी था तथा डाकतार विभाग में ग्राम शेखापुर नारी के डाकखाने की ब्रांच में डाकपाल के पद पर कार्यरत था। उसने अपनी सेवा सन 1949 में नियुक्ति के पश्चात आरम्भ की थी तथा 65 वर्ष की आयु तक उसे सेवारत रहना था,जैसाकि अनुबन्ध था तथा प्रतिवादी सं02 द्वारा उसको अवैधानिक ढंग से दिनांक 2॰8॰84 को रिटायर कर दिया गया था।

ग-48,प्रतिवादी गण द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत की गयी जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया कि ब्रान्च पोस्ट-मास्टर का पद केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सिविल पोस्ट का पद था और मौजूदा दावा सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्नल द्वाराही निर्णीत किया जा सकता था और इस न्यायालय को निर्णय का अधिकार नहीं था।

मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना

और ऐसी दशा में यही माना जायेगा कि वादी व प्रतिवादी के मध्य अनुबन्ध के आधार पर सम्बन्ध नहीं है बल्कि मास्टर और सर्वेन्ट वाले सम्बन्ध माने जायेंगे । सिविल पोस्ट पर वादी नियुक्त होने के कारण मेरे विचार में वादी का यह मामला चूंकि उसकी सर्विस से सम्बन्धित है धारा 14 (1) एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल एक्ट 1985 द्वारा ही विचार किया जा सकता है तथा इस न्यायालय को इस वाद को सुनने का अधिकार नहीं है ।

आदेश

प्रार्थना पत्र ग-45 खारिज किया जाता है तथा यह आदेश दिया जाता है कि वर्तमान वाद की पत्रावली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल को भेजा जाये तथा वादी दिनांक 3.11.86 को वहां उपस्थित हो ।

(एस.के.सक्सेना) 23/9/86
23.9.1986 सिविल जज, उन्नाव।

आज निर्णय हस्ताक्षरित दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(एस.के.सक्सेना) 23/9/86
23.9.1986 सिविल जज, उन्नाव।

फार्मेल ऑर्डर

~~प्रकीर्ण वाद में आदेश~~

न्यायालय सिविल जज उन्नाव स्थान

व्यवहार वाद संख्या दीवानी वाद सं 123 सन 85 सन् 19 ई०

~~प्रकीर्ण संख्या~~ सन् 19 ई०

Manni lal Nigam S/o Vishwa Nath Prasad. आवेदक
aged. 59 years R/o. Shekhpur Hari Tehsil Distt
Unnao.

बनाम

1. Union of India Through Secretary Post & Telegraph Department DELHI.
2. The Supsintendent Post office Kanpur, its office at Kanpur

प्रतिपक्षकार

न्यायालय का नाम
वाद संख्या
पक्षकारों के नाम

टिप्पणी—जो पते ऊपर दिए गए हैं यह पक्षकारों में
को छोड़ कर, जो उपस्थित नहीं हुये, तामील के प्रयोजन से दाखिल किये हैं।

के लिये आवेदन-पत्र

के लिये दावा

आवेदक के लिये श्री लल्लो जगन्नाथ निगम एडवोकेट अभिवक्ता और प्रतिपक्षकार

के लिये श्री सुरेश कुमार निगम एडवोकेट अभिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद

के दिनांक 23. मास 4 सन् 19 86 ई० को सिविल जज उन्नाव

न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष निर्णय के लिये पेश होने

पर एतद्द्वारा आदिष्ट किया जाता है कि प्रार्थना पत्र सं- 45 खारिज किया जाता है तथा यह
दिया जाता है कि वर्तमान वाद की पत्रावली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को भेजा
और यह और आदिष्ट किया जाता है कि
तारीख दिनांक 3.11.86 को वादी उपस्थित है।

रुपया इस आवेदन-पत्र के खर्च की

बाबत, जो उस पर प्रमाणित किया गया है, दें।

पदाधिकारी

H.C.J. Part IV—49

प्रकीर्ण वाद में आदेश

न्यायालय [illegible] स्थान

व्यवहार वाद संख्या 123 सन् 1986 ई०

प्रकीर्ण संख्या × सन् 19 ई०

(1) Manni Lal Haigen S/o Nithan Nath Prasad aged 55 years R/o Shekhpur Mari Teh. and Distt. Kanpur

आवेदक

बनाम

(1) Union of India through Secretary Post and Telegraph Department Delhi.

बनाम

(2) The Superintendent Post offices, Kanpur, through its office at Kanpur.

प्रतिपक्षकार

न्यायालय का नाम
वाद संख्या
पक्षकारों के नाम

टिप्पणी [illegible] ऊपर दिये गये हैं वे पक्षकारों ने
[illegible] आधार, जो उपस्थित नहीं हुये, तामील के प्रयोजन से दाखिल किये हैं।

Suit for the declaration of the order dated 2-10-85 passed by the Superintendent Post offices, Kanpur Kanpur Division under Gramin Sankhya A-4/E-D.A./Shekhpur Mari/84-85 Kanpur as void and illegal.

के लिये आवेदन-पत्र

के लिए दावा

आवेदक के लिए श्री [illegible] अभिवक्ता और प्रतिपक्षकार

के लिए [illegible] अभिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद

के दिनांक 25 माह 1 सन् 1986 ई० को [illegible]

श्री [illegible] न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष निर्णय के लिये पेश होने

पर एतद्द्वारा आदिष्ट किया जाता है कि (1) The perusal of the plaint clarifies that the same pertains to service matter. Let the case be sent to Central

और यह और आदिष्ट किया जाता है कि Services Tribunal. Alld. for disp. The Munsarim to make arrangement to sent it to there within 15 days.

की रुपया इस आवेदन-पत्र के खर्च की बाबत, जो उस पर प्रभारित किया गया है, दें।

पदाधिकारी के हस्ताक्षर।

[illegible]
12-2-86

टी० सी० सर्व साधारण से विक्रयार्थ

वादी/प्रतिवादी द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों की सूची

(आदेश १३ नियम १)

न्यायालय सिविल जज स्थान [illegible] जिला

वाद संख्या सन् १९८५ ई०

वादी

मन्नीलाल [illegible] बनाम यूनियन आफ इण्डिया

प्रतिवादी

मन्नीलाल [illegible] वाद पत्र के साथ

वादी प्रतिवादी की ओर से प्रथम सुनवाई के समय पेश किये गये दस्तावेजो की सूची ।

इस सूची को मन्नीलाल ने आज सन् १९ [illegible] के 16 / 16 दिवस को पेश किया

क्रम संख्या	२ दस्तावेजात का अभिवर्णन और उसकी तारीख यदि कोई हो	३ कागज क्या हुआ: यदि अभिलेख में सम्मिलितकिया गया तो प्रश्न चिन्ह जो उस पर डाला गया	यदि नामन्जूर हुआ तो पक्षकार को लौटाये जाने की तारीख और पक्षकार क्या उसके अभिवक्ता के हस्ताक्षर जिसको कागज लौटाया गया	यदि वाद के निश्चय के पश्चात कागज अभिलेख में रह जाय और अध्याय '३' नियम २४ के अधीन लिफाफे में बन्द किया गया लिफाफे में बन्द किये जाने की तारीख	४ टिप्पणी
(1)	मुसन्ना नोटिस बनाम यूनियन आफ इण्डिया आदि दि० 6-9-85				
(2)	रसीद रजिस्ट्री (2)				
(3)	एकनालेजमेण्ट बनाम यूनियन आफ इण्डिया ~~[illegible]~~ दिल्ली				
(4)	एकनालेजमेण्ट बनाम सुपरिंटेण्डेण्ट पोस्ट आफिस कानपुर				

न्यायालय का नाम
वाद संख्या
पक्षकारों के नाम

मन्नीलाल

सूची को पेश करने वाले पक्षकार या अभिवक्ता के हस्ताक्षर

मन्नीलाल निगम

JP.2 3/1

NOTICE

From:

Lakshmi Narain Nigam,
Advocate,
Unnao-209801.

To,

1. The Union of India through Secretary,
Post & Telecommunication Department Govt. of India,
New-Delhi.

2. Senior Superintendent,
Post Offices,
Kanpur.

Dear Sir,

Under the instructions from my client Sri ManniLal Nigam I give you this notice u/s 80 C.P.C. regarding the filing of a suit against ~~the~~ you. The suit shall be filed after expiry of sixty days of the receipt of this notice.

The name of the plaintiff, cause of action and the relief which shall be claimed are given below and is part of this notice.

Yours faithfully,
6-9-85

(Lakshmi Narain Nigam)
Advocate, Unnao.

In the Court of Civil Judge Unnao.

R.S.No. of 1985

Manni Lal Nigam s/o Vishwa Nath Prasad aged 59 yrs.
r/o Shekhpur Nari, Teh. & Distt. Unnao. ....Plaintiff.

V/s.

1. Union of India through secretary post and Telegraph Department New Delhi.
2. The Superintendent Post Offices, Kanpur through its office at Kanpur.

..... Defendants.

~~Suit~~ Suit for the declaration of the

contd.2..

order dated 2.8.1984 passed by the Superintendent post offices Kanpur, Kanpur Division Under Gyapan Sankhya A-4/L.D.A./Shekhpur Nari/84-85 Kanpur as void and illegal.

That the plaintiff begs to submit as follows:-

Para 1. That the plaintiff is the permanent resident of village ShekhpurNari of Teh. & Distt. Unnao. Presently the plaintiff is working in the post & telegraph office (department) as a post master at the village Shekhpur Nari branch post office of Teh. & Distt. Unnao. The plaintiff joined the above mentioned service as early as in the year 1949 A.D. and was appointed by the competent ~~authority~~ ~~ma~~ authorities and was to continue the service till the age of retirement (65yrs) under the said contract.

Para 2. That the plaintiff is executing all the administrative functions of the branch office where he is posted, with full devoltion and responsibility.

Para 3. That the defendant no.2 under the greed assured by some other person for appointing him as a post master did his utmost efforts to cause substantial damage to the plaintiff and ultimately he passed an order on 2.8.1984 to this effect that the plaintiff has completed the age of 65 yrs and thus he is liable to be retired from his services under the order dated 2.8.1984.

Para 4. ~~Th~~ In fact, at present the plaintiff is only 59 yrs. of age and he has not completed the age of 65 yrs. and hence the plaintiff is not liable to be retired from his services.

Para 5. That the order of retirement dated 2.8.1984

is void and illegal on the following grounds:-

(A) That the age of the plaintiff was fixed on manipulated and forged entries made by the department without the knowledge of the plaintiff . And as such they cannot be made the basis of any decision for retirement.

(B) There was no document in the post and telegraphs department about the age of the plaintiff nor was the plaintiff ever required to submit the particulars of his age.

(C) That the plaintiff was born on 4th June 1925 A.D. and as such he has not completed his age of 65 yrs. as was determined by the post & Telegraph department.

(D) That the plaintiff had the vested right to continue in service till the completion of 65 years of age. He was not given reasonable opportinity to place the correct date of birth which could have easily demolished the order dated 2.8.1984 .And as such it affected the civil rights of the plaintiff and the said order was passed only based on fraudulent and forged entries stated earlier.

Para 6. That the applicant -plaintiff had given application to the inspector post office on 18.10 the appointment of the plaiff as post master of t branch post office at Shekhpur Nari of Teh. and Unnao.

Para 7. That the application for appointment w given by the plaintiff when the Branch post office at Shekhpur Nari Teh. & Distt. Unnao .

Para 8. That the cause of action arose as early as on 2.8.1984 when the order aggrieved was passed by

Superintendent Post Offices Kanpur holding that the plaintiff has reached the age of super annuation and the plaintiff was served at his village Nari branch office District Unnao.

Para 9. That the valuation of the suit is rupees 15,000/- only and as the suit is for declaration of a particulars order hence court fee of rupees 200/- is being paid.

Para 10. That the plaintiff prays as follows:-

A) That the order passed by the Superintendent Post Offices Kanpur Division retiring the plaintiff on the basis of super annuation on 27.12.85 be declared to be void and illegal.

B) That it be declared that the plaintiff is entitled to remain in service of post of post master of the Branch post office, Nari Distt. Unnao upto the age of 65 years to be calculated according to the date of birth of plaintiff i.e. from 4th June 1925 .

C) That the plaintiff be given costs of the suit.

D) Any other relief which the court deems fit be given to the plaintiff.

Plaintiff,
Manni Lal Nigam,
Through:-
Sri L.N.Nigam,
Advocate, Unnao.

Unnao.
Dated 6.9.85.

Verification

105

बीमा नहीं NOT INSURED

AD

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य रु० पै०
Amount of Stamps affixed Rs. 3 P. 5

क्रमांक/No. 3783

तारीख मोहर
Date Stamp

एक रजिस्ट्री* ..... प्राप्त किया
Received a Registered* .....

पानेवाले का नाम Superintendent
Addressed to Postal Accounts Pla
KANPUR

पानेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

बीमा नहीं NOT INSURED

AD

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य रु० पै०
Amount of Stamps affixed Rs. 3 P. 5

क्रमांक/No. 3784

तारीख मोहर
Date Stamp

एक रजिस्ट्री* ..... प्राप्त किया
Received a Registered* .....

पानेवाले का नाम Union of India
Addressed to Theo Secy
Post Office
New Delhi

पानेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

[illegible] महोदय उनका
दी० मु० न० 105

[illegible] वादी

बनाम

यूनियन ऑफ इंडिया आदि - प्रतिवादीगण

[illegible]

प्राप्ति स्वीकृति (रसीद) ACKNOWLEDGMENT

*एक रजिस्ट्री बीमा पत्र/पोस्टकार्ड/पैकेट/पार्सल प्राप्त हुआ ..... क्रमांक/No. .....

*Received a Registered / Insured Letter/Postcard/Packet/Parcel

पाने वाले का नाम / Addressed to (name)
Union of India,
Through: Secretary,
Post & Telegraph Deptt.
Dew-Delhi.

†बीमे का मूल्य (रुपयों में)
†Insured for Rupees

वितरण की तारीख/Date of delivery 198

*अनावश्यक को काट दिया जाए।
*Score out the matter not required.

†केवल बीमा वस्तुओं के लिए
†For Insured articles

Post & Telegraphs, New Delhi

पाने वाले के हस्ताक्षर/Signature of addressee

कानपुर जी.पी.ओ. लिमिटेड जज महोदय उन्नाव

दी० मु० नं० 105

बनाम

यूनियन ऑफ इण्डिया आदि - प्रतिवादीगण

प्राप्ति स्वीकृति (रसीद) ACKNOWLEDGMENT

*एक रजिस्ट्री/बीमा पत्र/पोस्टकार्ड/पैकेट/पार्सल प्राप्त हुआ क्रमांक/No.

*Received a Registered/Insured Letter/Postcard/Packet/Parcel

पाने वाले का नाम Addressed to (name) The Superintendent Post Offices, Kanpur, through its Office at Kanpur.

*बीमे का मूल्य (रुपयों में) Insured for Rupees

वितरण की तारीख/Date of delivery.....198

*अनावश्यक को काट दिया जाए।

*Score out the matter not required.

*केवल बीमा वस्तुओं के लिए (For insured articles only)

12-9-85

प्राप्तकर्ता लिखिए

अ० शाक डाकघर

पाने वाले के हस्ताक्षर/Signature of addressee

मुख्य डाकघर

7.8.1.

5 20

A/46

वादी|प्रतिवादी द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों की सूची

(आदेश १३ नियम १)

जिला

न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन स्थान

वाद संख्या 123 | 85 सन् १९85 ई०

वादी — मन्नीलाल निगम

बनाम

प्रतिवादी — यूनियन आफ इण्डिया आदि

वाद पत्र के साथ

यूनियन आफ इण्डिया आदि वादी प्रतिवादी की ओर से — पेश किये गये दस्तावेजों की सूची।

प्रथम सुनवाई के समय

इस सूची को प्रतिवादीगण ने आज सन् १९ — के — दिवस को पेश किया।

१	२	३			४
		कागज क्या हुआ			
क्रम संख्या	दस्तावेजात का अभिवर्णन और उसकी तारीख यदि कोई हो।	यदि अभिलेख में सम्मिलित किया गया तो प्रश्न चिन्ह जो उस पर डाला गया	यदि नामन्जूर हुआ तो पक्षकार को लौटाये जाने की तारीख और पक्षकार या उसके अभिवक्ता के हस्ताक्षर जिसको कागज लौटाया गया	यदि वाद के निश्चय के पश्चात कागज अभिलेख में रह जाय और अध्याय ३ नियम २४ के अधीन लिफाफे में बन्द किया गया तो लिफाफे में बन्द किए जाने की तारीख	टिप्पणी
१	असल आदेश सचीपत्र डाकघर मुकदिमा मन्नूर संख्या P-4/EDM/ श्रीमपुरनरी/84-85 दि० 15-11-84				
२	असल घोषणा पत्र वादी दि० 7-1-85 ई०				
३	दिवानी में आदेश असल दि० 20-12-84 ई०				

Kept under Secure Cover vide Court order dt. 2-1-90 & stitch in file

प्रार्थी
यूनियन आफ इंडिया आदि
(प्रतिवादीगण)
द्वारा श्री सुरेश कुमार निगम
डी० जी० सी० (सिविल)

हस्ताक्षर

सूची को पेश करने वाले पक्षकार या अभि

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT

OFFICE OF THE SUPDT. OF POST OFFICES KANPUR(M) DN. KANPUR- 208001 (UP)

Memo No. : A-4/EDA/Sheikhpur Nari/84-85 Dated at Kanpur-1 the, 15.11.8

Shri Manni Lal Nigam, B.P.M. Sheikhpur Nari was ordered to be retired vide this office memo no. even dated 2.8.84 on the report of ASPO's Unnao Sub Division vide his letter No. A/Raithana dated 4.7.84 in which date of birth of Shri Manni Lal Nigam was shown as 28.4.49 on the basis of EDAS register. The ASPO's Unnao vide his letter no. A/Sheikhpur Nari dated 13.11.84 has again informed that origional service papers signed by Shri Manni Lal Nigam have been subsiquently traced in which date of birth of Shri Manni Lal Nigam is noted as 28.12.20.

As such the retirement order issued on 2.8.84 is hereby withdrawan and Shri Manni Lal Nigam is permitted to continue as BPM Sheikhpur Nari.

Supdt. of Post Offices,
Kanpur (M) Division,
KANPUR-208001 (U.P.)

Copy to:-

1. Shri Manni Lal Nigam B.P.M. Sheikhpur Nari.
2. The A.S.P.O.'s Unnao.
3. The Post Master Unnao.
4. Office Copy.

12-11-84

क्र 23

भारतीय डाक विभाग

कार्यालय:- अधीक्षक डाकघर, कानपुर मुख्यालय मण्डल कानपुर- 208001
ज्ञापन सं0 :- ए0-4/ई0सी0ए0/ रैमपुर नरौ/85-86 दि0 कानपुर, 20 12-85

श्री नन्नीलाल निगम शाखा डाकघर रैमपुर नरौ जो 27-12-85 को अपनी आयु के 65 वर्ष पूरे कर रहे है को 27-12-85 पूर्वाह्न से सेवा निवृत करने के आदेश पारित किए जाते है ।

चार्ज रिपोर्ट भेजी जाय ।

अधीक्षक डाकघर
कानपुर मु0 मण्डल
कानपुर- 208001

प्रतिलिपि:-

1- श्री नन्नीलाल निगम शाखा डाकघर रैमपुर नरौ उन्नाव
2- सहायक अधीक्षक डाकघर उन्नाव को, वे कृपया किसी उपयुक्त व्यक्ति को चार्ज भार सौंपें ।
3- डाकपाल उन्नाव
4से10 कार्यालय प्रति एवं अतिरिक्त

वादी/प्रतिवादी द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों की सूची

(आदेश १३, नियम १)

न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन स्थान उन्नाव जिला

वाद संख्या विविध सं० 123 सन् १९८५ ई०

मन्नीलाल निगम वादी

बनाम सुरेश चन्द्र आदि प्रतिवादी

मन्नीलाल जाट वादी/प्रतिवादी की ओर से वाद-पत्र के साथ / प्रथम सुनवाई के समय पेश किये गये दस्तावेजों की सूची।

इस सूची को मन्नीलाल जाट ने आज सन् १९ 86 ई० के 1 के 15 दिवस को पेश किया।

१	२	३			४
		कागज क्या हुआ			
क्रम संख्या	दस्तावेज का अभिवर्णन और उसकी तारीख, यदि कोई हो	यदि अभिले में सम्मिलित किया गया प्रदर्शन चन्ह, जो उस पर डाला गया	यदि नामंजूर हुआ तो पक्षकार को लौटाये जाने की तारीख और पक्षकार या उसके अभिवक्ता के हस्ताक्षर, जिसको कागज लौटाया गया हो	यदिवाद के विनिश्चय के पश्चात् कागज अभिलेख में रह जाय और अध्याय ३, नियम २४ के अधीन लिफाफा में बन्दकिया गया तो लिफाफा में बन्द किये जाने की तारीख	टिप्पणी
(1)	जन्मपत्री कलम मन्नीलाल निगम जन्म तिथि 4-6-25				
(2)	परिवार रजिस्टर ग्राम शेखपुरनी				
	प्रार्थी मन्नीलाल जाट वह अभिलेख				
	File C Sandle 15/1				

न्यायालय का नाम— सिविल जज सीनियर डिवीजन

वाद संख्या— विविध सं० 123/85

पक्षकारों के नाम— मन्नीलाल निगम

सूची पेश करने वाले पक्षकार या अभिवक्ता के हस्ताक्षर

श्री गणेशाय नमः

एक दन्तं महा बुद्धिं, सर्वज्ञो गण नायकः।
सर्व सिद्धि करो देवो, गौरी पुत्रो विनायकः॥

अद्य श्री शुभ सम्वत १९८२ श्री
शाके १८४७ ज्येष्ठ मासे शुक्ले पक्षे १२
गुरु वासरे, ॥११ स्वाती नाम्नि नक्षत्रे
३२॥५० परिघ योगे ४३॥४६ बालव
करणे, ॥११ श्री गतांशाः २० दिन मानम्
३३॥५५ श्री सूर्योदया दिष्टम् ०॥५
एतत समये श्री विश्वनाथ प्रसाद जी निगम
गृहे पुत्र जन्मः स्वाती द्वितीय चरणे
देवा शंकर राशि नाम तुला राशिः।
जन्म ५ जून १९२५ ई० प्रातः जन्मः।

जन्म लग्न चक्रम्

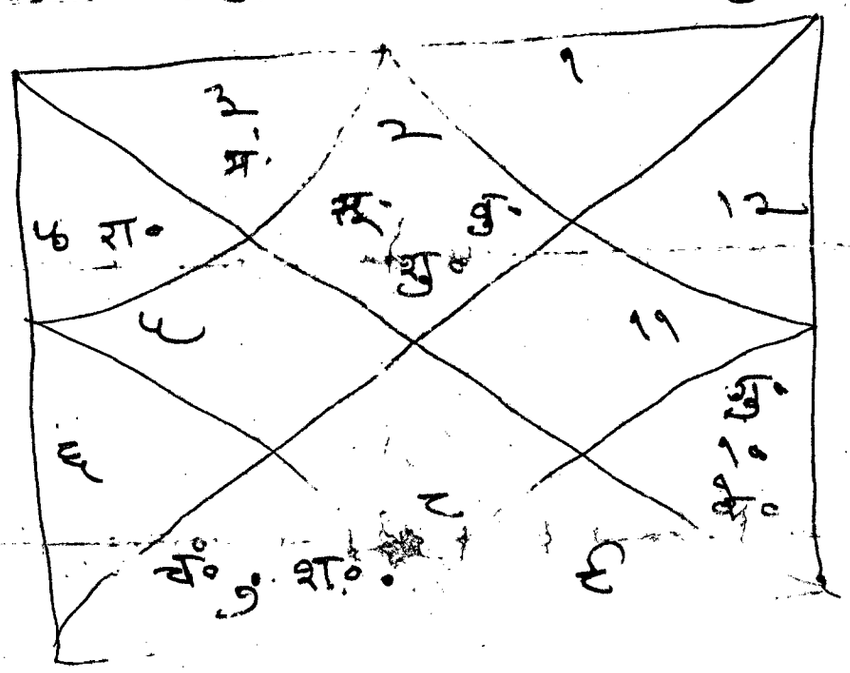

श्री विश्वनाथ प्रसाद निगम के पुत्र मन्नीलाल
निगम की

1 RS. COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE 1 RS.

प्रपत्र - क (नियम 2 देखिये)

परिवार - रजिस्टर

गाँव सभा का नाम - शेखपुरनेरी न्याय पंचायत का नाम - बंथर गाँव का नाम - शेखपुरनेरी तहसील - उन्नाव जिला - उन्नाव

क्रम संख्या	गृह संख्या जमबर	परिवार के प्रमुख का नाम	परिवार के सदस्यों का नाम	पिता/पति का नाम	पुरुष या स्त्री	हरिजन अनुसूचित जाति के दशा में जाति	जन्म तिथि यदि ज्ञात हो अथवा सामान्य जन्म तिथि	धर्म	साक्षर या निरक्षर साक्षर होने के दशा में कक्षा और स्तर	स्थायी रूप से देश या मृत्यु का दिनांक	अभियुक्ति
1	148	सोहनलाल	सोहनलाल	विशुनाथ	पु०	सामान्य	2-9-1892	हिन्दू	नि०	मृत 2-6-82	
2			गया प्रसाद	"	"	"	8-9-16	"	साक्षर	मृत	
3			मन्नीलाल	"	"	"	12-2-24	"	"		025486
4			राधेश्याम	मन्नीलाल	"	"	5-2-88	"	"		022596
5			शान्ती	राधेश्याम	स्त्री	"	9-1-88	"	नि०		
6			प्रदीपकुमार	राधेश्याम	पु०	"	30-10-90	"	"		
7			प्रवीणकुमार	"	"	"	10-5-88	"	"		
8			राजेशकुमार	"	"	"	8-11-88	"	"		

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित

12-1-06

ग्राम पंचायत अधिकारी

क्षेत्र बंथर, जि० उन्नाव

Rule

C.P. Sidhe

15/1

138

वादी/प्रतिवादी द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों की सूची

(आदेश १३ नियम १)

न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन स्थान उन्नाव जिला

वाद संख्या 123 सन् १९ 85 ई०

..... वादी

मन्नीलाल जैन बनाम भूमिधर बाल इंटर

..... प्रतिवादी

मन्नीलाल जैन वाद पत्र के साथ

..... वादी प्रतिवादी की ओर से ..... पेश किये गये दस्तावेजों की सूची।

मन्नीलाल जैन प्रथम सुनवाई के समय

इस सूची को ..... ने अ[illegible] सन् १९ 86 ..... के 1 / 25 दिवस को पेश किया।

१	२	३			४
		कामज क्या हुआ			
क्रम संख्या	दस्तावेजात का अभिवर्णन और उसकी तारीख यदि कोई हो।	या अभिलेख में सलित किया गया सहन चिन्ह जो ऊपर डाला गया	यदि नामन्जूर हुआ तो पक्षकार को लौटाये जाने की तारीख और पक्षकार या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर जिसको कामज लौटाया गया।	यदि वाद [illegible] के निश्चय के पश्चात कागज [illegible] अभिलेख में रह जाय और अध्या[illegible] ३, नियम २४ के अधीन लिफाफे में बन्द किया गया तो लिफाफे में बन्द किए जाने की तारीख	टिप्पणी
1	प्रमाण पत्र अकेल राष्ट्रीय कम्पनी योजना उन्नाव बालक पुस्तकालय लोहे वाले वर्ष 1984-85 बनाम मन्नी लाल डालमिया [illegible]				

प्रमाण
मन्नीलाल
[illegible]

सूची को पेश करने वाले पक्षकार या अभिवक्ता

राष्ट्रीय बचत योजना, उन्नाव

✡ प्रशस्ति-पत्र ✡

श्री मन्नी लाल, बाबूलाल, गोरखपुर नी ने वित्तीय वर्ष 84-85 में राष्ट्रीय बचत की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अपने सक्रिय सहयोग एवं सद्प्रयास द्वारा प्रशंसनीय योगदान दिया। जिसके निमित्त उन्हें विशेष रूप से पुरस्कृत किया जाता है।

दिनांक 9.4.85

प्रभारी अधिकारी
राष्ट्रीय बचत योजना
— उन्नाव —

जिलाधिकारी
उन्नाव

शुक्ला बुक डिपो एण्ड प्रिन्टर्स, उन्नाव फोन : ५२३

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE, UNNAO.

R.S.No. 1985.

Manni Lal Nigam.....Plaintiff/applicant.

V/s.

Union of India & others.....Defendants/Opp.Parties.

Suit for declaration

Registered address

Manni Lal Nigam s/o Vishwa Nath Prasad

r/o Shekhpur Nari ,

Post office Sekhpur Nari,

Tehsil &.Distt.Unnao.

In the Court of Civil Judge, Unnao
R.S.No. 185
Union of India & others

Applicant,

Manni Lal Nigam

(plaintiff)

Through:-

Sri L.N.Nigam,

Advocate,Unnao.

Unnao.

Dated 16.11.85.

COURT FEE INDIA 75 PAISE

COURT FEE INDIA 75 PAISE

व का ल त ना मा

नाम न्यायालय	नम्बर मुकदमा व वर्ष	वादी प्रार्थी अपीलान्ट	प्रतिवादी व विपक्षी रेस्पान्डेन्ट	दावा का विवरण	नाम मुवक्किल
श्रीमान					

मैंने/हमने उपरोक्त मुकदमा में अपनी इच्छा से स्वयं अपनी ओर से श्री मान

उनकी फीस स्वीकार करके अपना/वकील निम्न लिखित अधिकारों के साथ नियुक्त किया:-

१- कि वकील महोदय हमारी ओर से अर्जी दावा बयान तहरीरी या दस्तावेज अपील या अन्य कागजात या दस्तावेज इस्तगासा सब प्रकार के प्रार्थना पत्र (दरख्वास्त) दाखिल करे या वापस ले हमारी ओर से मुकद्दमें की सब प्रकार मौखिक या लिखित कार्यवाही करें या जो उचित समझें वैसा बयान दें या दूसरे से पूछें।

२- यह कि वकील महोदय हमारी ओर से मुकदमें की सब प्रकार की उचित और कानूनी पैरवी करें और जो कागजात व दस्तावेज उचित समझे दाखिल करें या दाखिल किये हुये कागजात वापस ले और जो नकल आवश्यक समझें हमारे खर्च से प्राप्त करें और जहाँ आवश्यक हो हमसे रुपया लेकर दाखिल करें या दाखिल किया हुआ रुपया वापस ले या मेरा मुआवजा या पुनर्वास मेरी ओर से अपने हस्ताक्षर करके उठावें और न्यायालय चकबन्दी में हर किस्म कार्यवाही जानिब से करे।

३- यह कि वकील महोदय हमारी ओर से डिगरी इजराय करावें और उसके सम्बन्ध में जो कार्यवाही उचित समझें करें और रुपया हमसे लेकर दाखिल करें या दाखिल किया हुआ रुपया हमारी ओर से उठावे और रसीद दे दें।

४- यह कि वकील महोदय हमारी ओर से सुलहनामा दाखिल कर सकते हैं और इकबाल दावा भी लगा सकते हैं। पंच भी नियुक्त कर सकते हैं और सुलहनामा में हमारी ओर से दस्तखत भी कर सकते हैं।

५- यह कि वकील महोदय द्वारा की गई कार्यवाही हमको सर्वदा स्वीकार है और स्वीकार होगी उनकी की हुई कार्यवाही के हम सर्वदा उत्तरदाई (जिम्मेदार) हैं और होंगे।

अतएव वकालतनामा लिख दिया कि प्रमाण रहें और समय पर काम आवे।

तारीख 16/11/85

हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

(१) साक्षी

(२)

(३)

(४)

प्राप्ति स्थान :-अमर बुक डिपो, उन्नाव।

मुद्रक :-पाण्डेय प्रिण्टर्स, उन्नाव।

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE, UNNAO.

R.S.No. of 1985.

Manni Lal Nigam .....Plaintiff/applicant.

V/s.

Union of India and others..... Defendants/opp.parties.

Application for stay.

Sir,

In the above noted case the plaintiff begs to submit as follows:-

Para 1. That the defendant no.2 has passed an order on 2.8.1984 that the plaintiff has reached the age of super annuation and hence his retirement orders are passed.

Para 2. That the plaintiff has not completed the age of 65 years . In fact neither the plaintiff was required to place the particulars of his age nor the plaintiff has ever submitted the same.

Para 3. That the order dated 2.8.1984 was passed on the basis of fradulent , forged and manipulated entries hence it is void and illegal.The order passed on 2.8.1984 is no order in the eye of Law.

Para 4. That the order dated 2.8.1984 was passed without giving any prior notice to the plaintiff about his retirement.

Para 5. That the plaintiff filed a suit for the declaring the order dated 2.8.1984 as null and void.

contd...2..

That during the pendency of that suit defendant no.2 withdraw that order but subsequently passed another order ~~but~~ directing the plaintiff to retire the plaintiff on 27.12.85 .The aforesaid suit was filed without serving notice u/s 80 C.P.C. hence the same was returned for being filed after notice u/s 80 C.P.C. The present suit is filed after compliance of sec.80 C.P.C. ~~is fixed~~

Para 6. That presently the plaintiff is working as a post master at Sheikhpur Nari Branch Post office.

Para 7. That the fresh order of defendant no.2 directing the plaintiff is retire on 27.12.85 is prejudicial to the interest of the plaintiff and if the dame is not stayed the plaintiff would suffer irrepafable loss.

Para8. That the balance of convenience is also in favour of the plaintiff that he should not be retired on 27.12.85.

It is, therefore, prayed that the defendants be restrained not to retire the plaintiff on 27.12.85 and status quo be maintained.

Applicant

Manni Lal Nigam

(plaintiff)

Unnao.

Dated 16.11.85.

Through:-

Sri L.N.Nigam,
Advocate, Unnao,

Counsel for the plaintiff.

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE, UNNAO.

R.S.No. of 1985

Manni Lal Nigam.....Plaintiff/applicant.

V/s.

Union of India and others.....Defendants/opp.parties.

Affidavit

I, Manni Lal Nigam s/o Vishwa Nath Prasad aged 59 yrs. r/o Shekhpur Nari, Teh. & Distt. Unnao, the deponent, do hereby solemnly affirm and state on oath as follows:-

Para 1. That the defendant no.2 has passed an order on 2.8.1984 that the plaintiff has reached the age of super-annuation and hence his retirement orders are passed.

Para 2. That the plaintiff has not completed the age of 65 years. In fact neither the deponent was required to place the particulars of his age nor the deponent has ever submitted the same.

Para 3. That the order dated 2.8.1984 was passed on the basis of fradulent, forged and manipulated entries hence it is void and illegal. The order passed on 2.8.1984 is no order in the eye of Law.

Para 4. That the order dated 2.8.1984 was passed without giving any prior notice to the deponent about his retirement.

Para 5. That the deponent filed a suit for the ~~ak~~ declaring the order dated 2.8.1984 as null and void.

contd..2...

That during the pendency of that suit defendant no.2 withdraw that order but subsequently passed another order directing the deponent to retire the deponent on 27.12.85 . The aforesaid suit was filed without serving notice u/s 80 C.P.C. hence the same was returned for being filed after notice u/s 80C.P.C. The present suit is filed after compliance of sec. 80 C.P.C.

Para 6. That presently the deponent is working as a post master at Sheikhpur Nari Branch Post office.

Para 7. That the fresh orderof defendant no.2 directing the deponent is retire on 27.12.85 is prejudicial to the interest of the deponent and if the same is not stayed the deponent would suffer irreparable loss.

Para 8. That the balanceof convenience is also infavour of the deponent that he sould not be retired on 27.12.85.

Unnao. Deponent.

Dated 16.11.85.

Verification

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of affidavit para 1 to 8 are true to the best of my personal knowledge.

Verified on this 16th day of Nov. 1985 in the court compound, Unnao.

Deponent.

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज महोदयउन्नाव।

दी० मु० नं०१२३ सन्‌८५

COURT FEE 75 P. भारत INDIA 75PAISE

COURT FEE 75 P. भारत INDIA 75PAISE

मन्नी लाल निगम - - - - - - - - - - वादी

बनाम

यूनियन आफ इण्डिया आदि - - - प्रतिवादीगण

श्रीमान् जी,

सेवा में प्रार्थी का कथन निम्नलिखित है:-

धारा १:- यह कि वादी ने यह दावा इस बात का दायर किया है कि प्रतिवादीगण उसको अवैधानिक रूप से दि०२७-१२-८५ को रिटायर्ड करने जारहे हैं। उपरोक्त दावा के पहले एक दावा वादी ने दायर किया था जिसमें पहले वादी को दि०२-८-८४ को रिटायर किया जारहा था। लेकिन बाद में वह आदेश वापस ले लिया गया था और यह कहा गया था कि अब वादी दि०२७-१२-८५ को रिटायर्ड होगा।

धारा २:- यह कि जब वादी ने यह दावा दायर किया था उस समय श्रीमान् जी ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। प्रतिवादी पर नोटिस तामील हो चुकी है।

धारा ३:- यह कि श्रीमान् सिविल जज महोदय छुट्टी पर है और उनके तुरन्त आने की सम्भावना नहीं है इस लिए यह आवश्यक है कि वादी की दरखास्त हुकुम इम्तेनाई चन्दरोज़ा की सुनवाई तुरन्त करदीजावे वरना दावे का मक़सद ख़तम हो जावेगा और वादी का सख़्त नुक़सान होगा जिसकी पूर्ति न हो सकेगी।

शेष२पर।

धारा ४:- यहकि वादी की सेवा ६५ वर्ष में समाप्त होनी है और वादी की जन्म तिथि दि०४-६-१९२५ई० है । जिसके अनुसार वादी के अभी ६५ वर्ष पूरे नहीं हुए हैं । इस लिए भी प्रतिवादीगण को वादी को रिटायर करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

अत: श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि वादी की दरखास्त हुकुम इम्तेनाई चन्दरोज़ा की तुरन्त सुनवाई करके प्रतिवादीगण को यह निर्देश दिया जावे कि वह ता फ़ैसला मुक़दमा वादी को उसके पद से रिटायर न करें ।

प्रार्थी:-

। मन्नी लाल निगम ।
वादी

द्वारा श्री एल० एन० निगम एडवोकेट,

दि०- ९-१२-८५. उन्नाव।

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज महोदयउन्नाव।

दी० मु० नं० १२३सन्८५

1985 AFFIDAVIT FILM DISTT. COURT U.P.

COURT FEE 1 Rs. भारत INDIA ONE RUPEE

COURT FEE 1 Rs. भारत INDIA ONE RUPEE

मन्नी लाल निगम - - - - - - - - - - - वादी

बनाम

यूनियन आफ़ इण्डिया आदि - - - - -प्रतिवादी

सूट फ़ार डिकलेरेशन

शपथ-पत्र

मैं मन्नी लाल निगम उम्र ५६ साल पुत्र श्री विश्व नाथ प्रसाद साकिन शेख़पुर नेरी प० व त० व ज़िलाउन्नाव बहलफ़ बयान करता हूं:-

धारा १:- यह कि शपथी ने यह दावा इस बात का दायर किया है कि प्रतिवादी गण उसको अवैधानिक रूप से दिनांक २७-१२-८५ को रिटाएर्ड करने जा रहे है । उपरोक्त दावा के पहले एक दावा शपथी ने दायर किया था जिसमें पहले शपथी को दिनांक२-८-८४ को रिटाएर किया जारहा था लेकिन बाद में वह आदेश वापस ले लिया गया था और यह कहा गयाथा कि अब शपथी दिनांक २७-१२-८५ को रिटायर्ड होगा ।

धारा २:- यहकि जब शपथी ने यह दावा दायर किया था उस समय श्रीमानजी ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया था, प्रतिवादी पर नोटिस तामील हो चुकी है ।

धारा ३:- यह कि श्रीमान् सिविल जज महोदय छुट्टी पर है और उनके तुरन्त आने की सम्भावना नहीं है इस लिए यह आवश्यक है कि शपथी की दरखास्त हुकुम इम्तेनाई चन्दरोज़ा की सुनवाई तुरन्त करदी जावे वरना दावे का मकसद ख़तम हो जावेगा और शपथी का सख़्त नुकसान होगा जिसकी पूर्ति न होसकेगी।

।शेष२पर।

धारा ४:- यह कि शपथी की सेवा ६५ वर्ष में समाप्त होनी है और शपथी की जन्म तिथि दिनांक ४-६-१९२५ई० है जिसके अनुसार शपथी के अभी ६५ वर्ष पूरे नहीं हुए है। इस लिए भी प्रतिवादी गण को शपथी को रिटायर करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

तसदीक:-

मैं शपथी शपथ पूर्वक तसदीक करता हूं कि विषय शपथ पत्र की धारा सं ४ बहलम मेरे सब वसही है। तसदीक शपथी आज दिनांक ९-१२-८५ को अन्दर अहाता कचहरी उन्नाव की गई।

भगौतीलाल मिश्र

भगौतीलाल मिश्र
शपथी

धारा ४:- यह कि शपथी की सेवा ६५ वर्ष में समाप्त होनी है और शपथी की जन्म तिथि दिनांक ४-६-१९२५ई० है जिसके अनुसार शपथी के अभी ६५ वर्ष पूरे नहीं हुए है। इस लिए भी प्रतिवादी गण को शपथी को रिटायर करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

तसदीक:-

मैं शपथी शपथ पूर्वक तसदीक करता हूं कि विषय शपथ पत्र की धारा ता ४ बहलम मेरे सच वसही है। तसदीक शपथी आज दिनांक ९-१२-८५ को अन्दर अहाता कचहरी उन्नाव की गई।

मन्नीलाल निगम

मन्नीलाल निगम
शपथी

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज महोदय उन्नाव।

मु० नं० १२२३।८५

पत्री 23/12/85 - 13/1/86

COURT FEE 75 P. भारत INDIA 75 PAISE

COURT FEE 75 P. भारत INDIA 75 PAISE

CANCELLED

मुन्नी लाल निगम - - - - - - - - - - वादी

बनाम

यूनियन आफ इण्डिया आदि - - - - - प्रतिवादीगण

श्रीमान् जी,

सेवा में निवेदन है कि प्रार्थी ने दिनांक ९-१२-८५ को दरखास्त दी थी कि वादी की दरखास्त हुकुम इम्तनाई चन्दरोज़ा की सुनवाई तुरन्त करली जावे। उक्त दरखास्त पर अभी तक सुनवाई का आदेश नहीं हुआ है। प्रार्थी को यह बताया गया था कि अदालत छुट्टी पर है इस लिए आदेश नहीं हो सकते हैं।

श्रीमान् जी प्रतिवादी द्वारा वादी को ज़बरदस्ती रिटायर किया जारहा है। अगर दिनांक २७-१२-८५ के पहले स्टे की दरखास्त की सुनवाई नहीं होती है तो वादी का सख्त नुकसान होगा जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि वादी की दरखास्त हुकुम इम्तनाई चन्दरोज़ा की सुनवाई व निस्तारण शीघ्र करने की कृपा की जावे।

प्रार्थी:-

मुन्नी लाल निगम -वादी

दि० १८-१२-८५. द्वारा श्री एल० एन० निगम एडवोकेट उन्नाव।

Hd. fix 23.12.85 for hearing of application. Notice be issued to defts to show cause within 2 days. Steps be taken. 18/12/85

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज महोदय उन्नाव।

दी० मु० नं० २३।८५

पेशी - २३-१२-८५

COURT FEE 75 P. भारत INDIA 75 PAISE

COURT FEE 75 P. भारत INDIA 75 PAISE

मन्नी लाल निगम - - - - - - - वादी

बनाम

यूनियन आफ इण्डिया आदि- - -प्रतिवादीगण

श्रीमान् जी,

सेवा में निवेदन है कि प्रार्थी ने स्पेशल मेसिन्जर की दरखास्त दी थी। इस मुकदमें में आदेश रिटारमेन्ट प्रतिवादी नं०२ ने पारित किया है जो कि रद्द होना है। इस लिए प्रतिवादी नं०२ पर नोटिस की तामीली ज़रूरी है। प्रतिवादी नं०१ केवल फारमल प्रतिवादी है। उसपर अभी नोटिस की तामीली ज़रूरी नहीं है। इस लिए स्पेशल मेसिन्जर द्वारा प्रतिवादी नं०२ पर तामीली कराई जावे और उसी का ख़र्चा जमा करने की इजाज़त प्रदान की जावे।

अत: श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि नोटिस केवल प्रतिवादी नं०२ पर ही तामील कराये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। और उसी का ख़र्चा जमा करायाजावे।

प्रार्थी:-

मन्नी लाल निगम वादी

द्वारा श्री एल० स० निगम एडवोकेट

उन्नाव।

दि०-२१-१२-८५.

न्यायालय श्री मान सिविल जज महोदय उन्नाव

दी० मु० नं० 123 सन 85 ई०

(67)

J.24

मन्नीलाल निवास ———————— वादी

बनाम

यूनियन आफ इंडिया आदि ———————— प्रतिवादीगण

श्री मान जी,

निवेदन है कि वादी का दस्तखती व निशान अंगूठा लगा हुआ असल घोषणा पत्र जिसमें उसकी जन्म तिथि दि० 28-12-1920 अंकित है को शामिल किया जा रहा है। प्रतिवादीगण को अन्देशा है कि इस कागज में रद्दोबदल न कर दिया जाय।

अतः प्रार्थना है कि उक्त कागज सील कवर में रखने की कृपा की जावे।

दि० 1-1-88 ई०

प्रार्थी

यूनियन आफ इंडिया आदि

(प्रतिवादी)

द्वारा श्री सुरेश कुमार निगम

डी० जी० सी० (सिविल)

उन्नाव

Order

Ld. Let it be kept under sealed cover.

Cl. J.
2/06

न्यायालय श्री मान सिविल जज महोदय उन्नाव

दी० मु० नं० 123 सन 85 ई०

मन्नीलाल निवास बनाम यूनियन आफ इंडिया आदि

IN THE COURT OF CIVIL JUDGE, UNNAO.

R.S.No. 123/85

Manni Lal Nigam ..... Plaintiff

V/s.

Union of India & others ..... Defendants.

PARAWISE REPLY TO STAY APPLICATION:

1. Admitted.

2. Not admitted. At the time of appointment on 18.10.49 the plaintiff's age is noted as 37 years in his application dated 18.10.49. As per register of Extra Departmental agents the date of birth is noted as 28.4.1919 on verbal intimation of Shri Manni Lal Nigam on the basis of which he has completed maximum age of 65 years and was ordered to be retired on 2.8.84. But some other papers signed by the plaintiff were subsequently recovered in which the date of birth is noted as 28.12.20 On the basis of which he was allowed to continue upto 27.12.85 and hence he has been retired under Order No. A-4/EDA/Shekhpur Nare dated 20-12-85 with effect from 27.12.85 which has been served on him ~~on~~ through regd. post.

3. Not admitted. The order was passed on the report of the Asstt. Supdt. of Post Offices, Unnao. However the order dated 2.8.84 was withdrawn.

4. No separate notice is required to be given to the employee due for retirement. The plaintiff was allowed to continue upto 27.12.85.

contd..2..

5. Admitted.

6. Not admitted. The plaintiff has been retired with effect from 27.12.85.The stay application liable to be rejected with costs.

7. Not admitted.

8. Not admitted.

ADDITIONAL PLEAS

9. Shri Manni Lal Nigam s/o Shri Bishwanath resident of Shekhpur Nari Unnao was engaged as Extra Departmental Branch Postmaster in Sheikhpur-Nari Post office on 18.10.49. At the time of his appointment he verbally intimated his date of birth as 28.4.1919 which was noted in the register The Asstt. Supdt. of post offices, Unnao informed that Sri Manni Lal Nigam has completed maximum age limit of 65 years and accordingly he was ordered to be retired on 2.8.84, after issue of order dated 2.8.84. The descri-ptive particulars relating to service particulars of Shri Manni Lal were recovered subsequently in which his date of birth is noted as 28.12.20. These papers are duly signed and thumb marked by the plaintiff and attested by the then Inspector of Post Offices, Unnao. As these papers are duly authenticated on the basis of which the plaintiff was allowed to continue upto 27.12.85 and order issued on 2.8.84 was withdrawn. As a matter of fact the plaintiff has been retired with effect from 27.12.85 under order of Supdt. of Post Offices(Mufassil Division), Kanpur dated ..20-12-85 which has been served on the plaintiff through regd. post. The plaintiff has

contd....3...

no right to continue as Branch Post Master beyond 27.12.85. The stay application is liable to be dismissed with costs.

Union of India & others

(applicants)

अधीक्षक डाकघर
मुफस्सिल प्रबन्ध, कानपुर-208001.

Through:-

Sri S.K.Nigam,
Advocate,
D.G.C.(Civil), Unnao.

Dated _____

न्यायालय श्रीमान सिविल जज महोदय उन्नाव

दी० मु० नं० १२३ सन ८५ ई०

मन्नी लाल निगम ———————— वादी

बनाम

यूनियन आफ इंडिया आदि ———————— प्रतिवादीगण

I S. K. Nigam DGH Govt Counsel Civil Unnao authorized to act for Government appear on behalf of the Union of India defendant in the above case.

S. K. Nigam
DGC Civil
Unnao.
2.1.86

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज महोदय उन्नाव।

दी० मु० नं० १२३।८५

मन्नी लाल निगम - - - - - - - वादी

बनाम

यूनियन आफ इण्डिया आदि - - - प्रतिवादीगण

श्रीमान् जी,

सेवा में निवेदन है कि उपरोक्त मुकदमें में श्री सुरेश कुमार निगम एडवोकेट ने प्रतिवादी गण की तरफ से आपत्ति व दरखास्त दाखिल की गई है। जो कि कोर्टफीस स्टाम्प पर नहीं हैं। इसके अलावा श्री एस० के० निगम ने कोई वकालतनामा प्रतिवादीगण की तरफ से दाखिल नहीं किया है। वे भारत सरकार की तरफ से वकील नियुक्त नहीं हैं। नाहीं प्रतिवादी गण की तरफ से वकील नियुक्त किये गये हैं। ऐसी दशा में उनको प्रतिवादी गण की तरफ से पैरवी करने का अधिकार नहीं है।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उनके द्वारा दाखिल कागज़ात निरस्त किये जावें।

प्रार्थी:-

(मन्नी लाल निगम)

वादी

द्वारा श्री एल० एस० निगम एडवोकेट

उन्नाव।

दि०- २-१-८६.

न्यायालयश्रीमान् सिविल जज महोदयउन्नाव।

दी० मु० नं०१२३।८५

पेशी - १५-१-८६

2-1-86

4-1-86

मन्नी लाल निगम - - - - - - - - - - - वादी

बनाम

यूनियन आफ इण्डिया आदि - - - - - - - प्रतिवादीगण

श्रीमान् जी,

सेवा में निवेदन है कि उपरोक्त मुक़दमें में वादी ने हुक्म इम्तेनाई चन्दरोज़ा की दरखास्त दी है जिसके निस्तारण के लिए श्रीमान् जी ने तारीख १५-१-८६ मुक़र्रर की है उसके लिए यह आवश्यक है कि जो कागज़ात मुक़दमें के लिए ज़रूरी है वह अदालत के समक्ष आ जाना चाहिये। नीचे लिखे कागज़ात अदालत के समक्ष आना ज़रूरी है वह कागज़ात प्रतिवादी के क़ब्ज़े में हैं। उनके आजाने से श्रीमान् जी को मुक़दमें का फ़ैसला करने में मदद मिलेगी और न्याय हो सकेगा।

अत: श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि नीचे लिखे कागज़ात प्रतिवादी को अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया जावे।:-

१- दरखास्त वादी दि०१८-१०-१९४९ई०।

२- एजेन्ट रजिस्टर एक्सट्रा डिपार्टमेन्ट जिसमें वादी की पैदाइश की तिथि नोट हो।

प्रार्थी:-

मन्नी लाल निगम -वादी

दि०४-१-८६ द्वाराश्री एल० सी० निगम एडवोकेट उन्नाव।

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज महोदय उन्नाव।

दी० मु० नं० १२३ सन् ८५

COURT FEE 75 P. भारत INDIA 75 PAISE

COURT FEE 75 P. भारत INDIA 75 PAISE

मन्नी लाल निगम - - - - - - - - वादी

बनाम

यूनियन आफ इण्डिया आदि - - - प्रतिवादीगण

श्रीमान् जी,

सेवा में निवेदन है कि उपरोक्त मुकदमें में प्रार्थी ने असल जनम पत्री जिसमें उसकी जन्म तिथि अंकित है, दाखिल की है। प्रार्थी को इस बात की आशंका है कि उसमें कुछ प्रतिवादी कुछ रद्दोबदल कर देगा इस लिए उसका सील कवर में रखा जाना आवश्यक है। जिससे कि उस कागज़ में प्रतिवादी हेर फेर न कर सके।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी ने जो कागज़ दाखिल किये हैं वह सील कवर में रखे जाने की इजाज़त प्रदान की जावे।

प्रार्थी:-

मन्नी लाल निगम- वादी

द्वाराश्री एल० एन० निगम एडवोकेट,

उन्नाव।

दि०-१५-१-८६.

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज महोदय उन्नाव।

दी० मु० नं० १२३ सन् ८५

5729

(74)

COURT FEE 75 P. भारत INDIA 75 PAISE

COURT FEE 75 P. भारत INDIA 75 PAISE

मन्नी लाल निगम - - - - - - - - - वादी

बनाम

यूनियन आफ इण्डिया आदि - - - प्रतिवादीगण

श्रीमान् जी,

सेवा में निवेदन है कि उपरोक्त मुकदमें में प्रार्थी ने असल जनम पत्री जिसमें उसकी जन्म तिथि अंकित है, दाखिल की है। प्रार्थी को इस बात की आशंका है कि उसमें कुछ प्रतिवादी कुछ रद्दोबदल कर देगा इस लिए उसका सील कवर में रखा जाना आवश्यक है। जिससे कि उस कागज़ में प्रतिवादी हेर फेर न कर सके।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी ने जो कागज़ दाखिल किये हैं वह सील कवर में रखे जाने की इजाज़त प्रदान की जावे।

प्रार्थी:-

मन्नी लाल निगम- वादी

द्वाराश्री एल० एन० निगम एडवोकेट,

उन्नाव।

दि०-१५-१-८६.

1/30/1

न्यायालय श्रीमान सिविल जज मध्य प्रदेश उज्जैन

दी.मु. नं. 123 सन 86

पेशी

15-1-86

मन्नालाल निगम ——— वादी

बनाम

यूनियन ऑफ इंडिया आदि ——— प्रतिवादी

दावा हुकूम इम्तनाही

श्रीमान जी,

निवेदन है कि जो दरख्वास्त दिनांक 2-1-86 ई० को वादी की ओर से दी गई है उस के विरुद्ध निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं।

धारा 1:- यह कि सरकार की ओर से दरख्वास्त पर कोर्ट फीस नहीं पड़ती है।

धारा 2:- मात्र सरकार की ओर से पेशी करने के लिए वकालतनामा की आवश्यकता नहीं है। मेमो ऑफ अपियरेन्स दाखिल किया गया है। प्रतिवादीगण ने डी० जी० सी० सिविल को मुकदमे में पैरवी करने के लिए अधिकृत किया है।

धारा 3:- यह कि Central Services Tribunal की स्थापना हो चुकी है और अदालत हाजा को अख्तियार समाअ मुकदमा हासिल नहीं है।

अतः प्रार्थना है कि

श्रीमान सिविल जज उज्जैन
दी.मु. नं. 123 सन 86
मन्नालाल निगम
यूनियन ऑफ इंडिया

पृ 88/2

दरख्वास्त वादी तथा वादावादी
बाबत फरमाये जावे।

(70)

प्रार्थी

1- यूनियन आफ इंडिया

2- सुपरिन्टेन्डेन्ट पोस्ट
आफिसेज कानपुर
(मुकाम सिकन्दरबाग)

प्रतिवादीगण द्वारा
श्री सुरेश कुमार निगम
एडवोकेट
सेवक उमाव
पि० 12-1-78

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

COURT FEE INDIA 75 P. 75 PAISE

वकालतनामा

न्यायलय का नाम ... श्रीमान सिविल जज महोदय कानपुर

नं० मु० ... १२२ ... सन् ... ८६ ...

नाम फरीकैन ... मन्नी लाल निगम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया वगैरह

किस्म दावा ...

उक्त मुकद्दमे में पैरवी करने के लिए मैं/हम ... अधिवक्ता डाक बंगला कानपुर श्री सुरेश कुमार निगम

आत्मज ... जाति ... निवासी ...

श्रीयुत सुरेश कुमार निगम वकील बनाम दीवानी कानपुर

को अपना वकील नियुक्त करता हूं/करते हैं। आपको अधिकार है कि आप इस मुकद्दमे में हमारी ओर से पैरवी व सवाल जबाब बहस करें व दस्तावेज व अन्य कागज उपस्थित करें व वापस लेवें। पंच नियुक्त करें व पंचनामा व पंच निर्णय के विरोध में कारण उपस्थित करें सुलहनामा व स्वीकृत पत्र उपस्थित कर दावा स्वीकार करें या उठा लेवें। डिग्री हो जाने पर उसे कार्य रूप में परिणित करावें, डिग्री का रुपया तत्सम्बन्धी व्यय या अन्य कोई धन जो हमें प्राप्त होने को हो प्राप्त करें, कोर्ट फीस स्टाम्स व अन्य खर्चे दाखिल करें व वापसी लेवें व नकल लेवें। मिसिल निरीक्षण करें व मुकद्दमा स्थगित करावें व अर्जी दावा व लिखित बयाने उपस्थित करें व अपील या अन्य कोई प्रार्थना पत्र उपस्थित करें या शपथ पत्र उपस्थित करें या हमारी ओर से मौखिक बयान दें। मुकद्दमे में गवाह तलब करावें या अपनी ओर से अन्य वकील नियुक्त करके मुकद्दमे का सब कार्यवाही करावें या अन्य उक्त मुकद्दमा सम्बन्धी जो आवश्यक कार्य हो करें।

नाम न्यायालय श्रीमान सिविल जज महोदय कानपुर
बाद सं० १२२ सन् ८६
नाम मन्नी लाल निगम

मैं/हम उक्त वकील साहब को उनकी फीस निश्चित करने के बाद उपरोक्त अधिकार देते हुए अपना वकील नियुक्त करता हूं/करते हैं, और इकरार करता हूं कि जो कुछ कार्य वकील साहब इस मुकद्दमे के सम्बन्ध में करेंगे वह हमारा किया हुआ समझा जायगा, और हमें स्वीकार होगा।

हस्ताक्षर प्रार्थी ... मन्नी लाल निगम

Adhikshak Dak Bangla Kanpur Mandal Pradesh KANPUR-208001

मुकद्दिल प्रान्त, कानपुर-208001

साक्षी ... साक्षी ...

स्वीकृत वकील ... तारीख १५-१-८६

T33

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज महोदयउन्नाव।

दी० मु० नं०१२३।८५

पेशी - १४-३-८६

75 P. COURT FEE 75 P. COURT FEE

भारत INDIA भारत INDIA

पचहत्तर पैसे 75 PAISE पचहत्तर पैसे 75 PAISE

8

दरखास्त

2-1-5.0

16-1-86

मन्नी लाल - - - - - - - - - - - - - वादी

बनाम

यूनियन आफ इण्डिया आदि - - - - प्रतिवादीगण

श्रीमान् जी,

सेवा में निवेदन है कि उक्त वाद में तारीख़ पेशी १४-३-८६ मुक़र्रर की है। मुक़दमें में दरखास्त हुक्म इम्तेनाई चन्दरोज़ा का फ़ैसला होना है। यदि दरखास्त हुक्म इम्तेनाई चन्दरोज़ा पर शीघ्र आदेश पारित न किये गये तो प्रार्थी की सख्त हक़तलफ़ी होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में न हो सकेगी। इस लिए यह आवश्यक है कि दरखास्त हुक्म इम्तेनाई चन्दरोज़ा के फ़ैसले के लिए कोई जल्दी की तारीख़ मुक़र्रर की जावे।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त मुक़दमा में तारीख़ पेशी १४-३-८६ के बजाये कोई जल्दी की तारीख़ ४-५ दिन के बाद की प्रदान की जावे।

प्रार्थी:-

मन्नी लाल निगम वादी

द्वारा श्री एल० एन० निगम एडवोकेट

उन्नाव।

दि०१६-१-८६

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज महोदयउन्नाव।

दी० मु० नं०१२३।८५

मन्नी लाल निगम - - - - - - - - - - - वादी

बनाम

यूनियन आफ़ इण्डिया - - - - - - - प्रतिवादी

श्रीमान् जी,

सेवा में सविनय निवेदन है कि जो दरखास्त प्रतिवादी की तरफ़ से दिनांक १५-१-८६ को दी गई है उसके ख़िलाफ़ वादी की निम्नलिखित आपत्तियां हैं:-

धारा १:- यह कि श्री सुरेश कुमार निगम भारत सरकार के वकील नहीं है। उन्होंने भारत सरकार की ओर से कोई वकालतनामा दाख़िल नहीं किया है इस लिए वह इस मुक़दमें की पैरवी प्रतिवादीगण की तरफ़ से नहीं कर सकते हैं।

धारा २:- यह कि वादी भारत सरकार का रेगुलर वेतनभोगी कर्मचारी नहीं है। और नाही उसकी नियुक्ती विभागीय नियमों से आबाद होती है। नाही वह नियमित कर्मचारी की हैसियत रखता है।

धारा ३:- यह कि वादी प्रतिवादीगण के यहां अतिरिक्त विभागीय एजेन्ट के रूप में नियुक्त हुआ था और उसकी नियुक्ति कान्ट्रैक्ट के आधार पर की गई थी जिसके अनुसार वादी को २७४।रूपया भत्ता दिया जाता है। इस लिए वह सर्विस ट्रिब्यूनल के प्राविधानों के अन्तरगत नहीं आता है और नाही उसपर विभागीय सेवा नियमों का कोई पड़ता है। इस लिए वादी केन्द्रीय सर्विसेज़ ट्रिब्यूनल में कोई याचना नहीं कर सकता है।

(80)

धारा ४:- यह कि वादी की चूंकि नियुक्ती अतिरिक्त विभागीय एजेन्ट के रूप में इस आधार पर की गई थी कि वादी ६५ वर्ष की आयु तक नौकर रह सकेगा। वादी की जन्म तिथि ४ जून १९२५ई० की है जैसा वादी द्वारा दाखिल जन्म पत्री से मालूम होगा।

धारा ५:- यह कि प्रतिवादीगण की तरफ से जो कागज़ दाखिल किये गये हैं उसमें जन्म तिथि का इन्द्राज फ़र्ज़ी किया गया है। प्रतिवादी ने पिछले मुकदमें में जो आपत्तियां दाखिल की थीं उसमें उसने यह कहा था कि वादी की जन्म तिथि २८-४-१९१९ई० अंकित है जबकि प्रतिवादी अब दूसरी जन्म तिथि मौजूदा मुकदमें में बता रहा है। ऐसी दशा में प्रतिवादी के कागज़ात पर भरोसा किया जाना किसी भी रूप में उचित नहीं है।

धारा ६:- यह कि पिछले दावे के पहले प्रतिवादीगण ने वादी को रिटायरमेन्ट का जो नोटिस दिया था उसमें यह लिखा था कि वादी दिनांक- २८-८४ को रिटायर हो रहा है। लेकिन उस दावे के दौरान प्रतिवादी ने यह कहा कि वह दि०२८-८-८४ का आदेश गलत है इस लिए उसको निरस्त किया जाता है।

धारा ७:- यह कि वादी को भत्ते के अलावा मौआहिदे के अनुसार दो प्रतिशत कमीशन उसके द्वारा बेचे गये बचत पत्रों द्वारा होता है इस लिए यदि वादी को प्रतिवादी के अवैध आदेश के अनुसार रिटायर कर दिया गया तो नाकि भत्ते का नुकसान होगा बल्कि वादी को दो प्रतिशत कमीशन का भी नुकसान होगा जिसकी कि कोई जांच या हिसाब मालूम करना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि बचत पत्र की बिक्री वादी द्वारा अपने निजी प्रयत्नों व प्रभाव से होती थी इस बात के लिए वादी को वर्ष १९८४-८५ में पुरस्कृत भी किया गया था। जिसका प्रमाण पत्र वादी दाखिल कर रहा है।

।शेष अगले।

धारा ८:- यहकि केन्द्रीय ट्रिब्यूनल में वादी चूंकि कोई चाराजोई नहीं कर सकता है इस लिए इस मुकदमें की सुनवाई का अधिकार अदालत दीवानी को प्राप्त है।

अत: श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण की दरखास्त दिनांक १५-१-८६ खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थी:-

। मन्नी लाल निगम ।

दि०-२५-१-८६.

वादी

द्वाराश्री एल० एन० निगम एडवोकेट उन्नाव।

न्यायालय श्रीमान् सिविल जज महोदय उन्नाव।

दी० मु० नं० १२३।८५

COURT FEE 2 RS. INDIA TWO RUPEES

AFFIDAVIT 1986 69 IM DISTT. COURT U.P.

मन्नी लाल निगम - - - - - - - - - - - वादी

बनाम

यूनियन आफ़ इण्डिया - - - - - प्रतिवादी

शपथ-पत्र

मैं मन्नी लाल निगम उम्र लगभग ५९ वर्ष पुत्र श्री विश्वनाथ प्रसाद साकिन ग्राम शेख़पुर नरी परगना व तहसील व ज़िला उन्नाव बहलफ़ बहलफ़ बयान करता हूं:-

धारा १:- यह कि श्री सुरेश कुमार निगम भारत सरकार के वकील नहीं है। उन्होंने भारत सरकार की ओर से कोई वकालतनामा दाखिल नहीं किया है इस लिए वह इस मुकदमें की पैरवी प्रतिवादीगण की ओर से नहीं कर सकते हैं।

धारा २:- यह कि शपथी भारत सरकार का रेगुलर वेतनभोगी कर्मचारी नहीं है। और नाही उसकी नियुक्ती विभागीय नियमों से आयद होती है। और नाही वह नियमित कर्मचारी की हैसियत रखता है।

धारा ३:- यह कि शपथी प्रतिवादीगण के यहां अतिरिक्त विभागीय एजेन्ट के रूप में नियुक्त हुआ था और उसकी नियुक्ती कान्ट्रेक्ट के आधार पर की गई थी जिसके अनुसार शपथी को २७४। रूपया भत्ता दिया जाता है। इस लिए वह सर्विस ट्रिब्यूनल के प्राविधानों के अन्तर्गत नहीं आता है और नाही उसपर विभागीय सेवा नियमों का कोई असर पड़ता है। इस लिए शपथी केन्द्रीय सर्विस ट्रिब्यूनल में कोई याचना नहीं कर सकता है।

Mohan Bajpai, Advocate
Oath Commissioner, Unnao.

धारा ४:- यह कि शपथी की चूंकि नियुक्ती अतिरिक्त विभागीय एजेन्ट के रूप में इस आधार पर की गई थी कि शपथी ६५ वर्ष की आयु तक नौकर रह सकेगा। शपथी की जन्म तिथि ४ जून सन् १९२५ई० की है। जैसा कि शपथी द्वारा दाखिल जन्म पत्री से मालूम होगा।

धारा ५:- यह कि प्रतिवादीगण की तरफ से जो कागज़ दाखिल किये गये हैं उसमें जन्म तिथि का इन्द्राज फर्ज़ी किया गया है। प्रतिवादी ने पिछले मुकदमें में जो आपत्तियां दाखिल की थीं उसमें उसने यह कहा था कि शपथी की जन्म तिथि दि०२८-४-१९१९ई० अंकित है। जब कि प्रतिवादी अब दूसरी जन्म तिथि मौजूदा मुकदमें में बता रहा है। ऐसी दशा में प्रतिवादी के कागज़ात पर भरोसा किया जाना किसी भी रूप में उचित नहीं है।

धारा ६:- यह कि पिछले दावे के पहले प्रतिवादीगण ने शपथी को रिटायरमेन्ट का जो नोटिस दिया था उसमें यह लिखा था कि शपथी दिनांक-२-८-८४ को रिटायर हो रहा है लेकिन उस दावे के दौरान प्रतिवादी ने यह कहा था कि वह दिनांक २-८-८४ का आदेश गलत है इस लिए उसको निरस्त किया जाता है।

धारा ७:- यह कि शपथी को भत्ते के अलावा माआहिदे के अनुसार दो प्रतिशत कमीशन उसके द्वारा बेचे गये बचत पत्रों द्वारा होता है इस लिए यदि शपथी को प्रतिवादी के अवैध आदेश के अनुसार रिटायर करदियागया तो नाकि भत्ते का नुकसान होगा बल्कि शपथी को दो प्रतिशत कमीशन का भी नुकसान होगा जिसकी कोई जांच या हिसाब मालूम करना मुमकिन नहीं होगा क्योंकि बचत पत्र की बिक्री शपथी द्वारा अपने निजी प्रयत्नों व प्रभाव से होती थी इस बात के लिए शपथी को वर्ष ८४-८५ में पुरस्कृत भी किया गया था जिसका प्रमाण पत्र शपथी दाखिल कर रहा है।

Mohan Bajpai, Advocate
Oath Commissioner, Unnao.

धारा ८:- यह कि केन्द्रीय ट्रिब्यूनल में शपथी चूंकि कोई चाराजोई नहीं कर सकता है इस लिए इस मुकदमें की सुनवाई का अधिकार अदालत दीवानी को प्राप्त है।

तसदीक:-

मैं शपथी शपथ पूर्वक तसदीक करता हूं कि विषाय शपथ पत्र की धारा१ता८ बइल्म मेरे सच वसही है। तसदीक आज दिनांक- २५-१-८६ को अन्दर अहाता कचेहरी उन्नाव की गई।

शपथी

शपथी

25/1/86

Shiv Mohan Bajpai, Advocate
Oath Commissioner, Unnao.

न्यायालय श्रीमान सिविल जज महोदय उन्नाव
दी० मु० नं० 123/85
पे० 15/1/86

75 P. COURT FEE INDIA 75 PAISE — CANCELLED

75 P. COURT FEE INDIA 75 PAISE

2-1-5
7-2-86

मन्नीलाल बनाम यूनियन आफ इंडिया वगैरह

श्रीमान जी,

प्रार्थी का कथन निम्न लिखित है:-

धारा 1- यह कि वादी ने मौजूदा दावा इस आधार पर दायर किया है कि वह एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल के रूप में एक मौखिक के अनुसार नियुक्त किया गया था वह डाक तार विभाग का स्थाई साधारण कर्मचारी नहीं है उसको केवल भत्ता प्राप्त होता है और कमीशन के आधार पर वह काम करता है वादी को कोई मासिक वेतन नहीं दिया जाता है।

धारा 2- यह कि वादी पर डाक तार विभाग द्वारा बनाए गये सेवा नियम लागू नहीं होते हैं बल्कि वह केवल मौखिक के आधार पर ही कार्यरत रहता है।

धारा 3- यह कि श्रीमान जी ने बिना वादी को सुने मुकदमे को सर्विस ट्रब्युनल में भेजने का आदेश पारित किया है जो कि किसी भी रूप में सही नहीं है सर्विस ट्रब्युनल में उन्हीं लोगों का मामला तय होगा जिन पर कि सेवा नियम लागू होते हैं और जो कि सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं वादी पर उपरोक्त कोई भी नियम लागू नहीं होते हैं और न वह सरकारी कर्मचारी है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि 15/1/86 का आदेश वापस लिया जावें और वादी का मुकदमा इसी न्यायालय में सुना जावे।

प्रार्थी
मन्नीलाल - वादी

6/2/86
मैं मन्नीलाल को जानता हूँ इन्होंने मेरे सामने अपने दस्तखत किए हैं
राकेश कुमार
C/o श्री एल० एन० श्रीवास्तव
उन्नाव
6/2/86

7/2/86

दी० मु० नं० 123/85
मन्नीलाल बनाम यूनियन आफ इंडिया

६४—कौन लोग ब्रांच पोस्टमास्टर नियुक्त किये जा सकते हैं—[illegible] जो के होते हैं वाली डाक के मोहकमे के कर्मचारी और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट। [illegible] दुकानदार व सरकारी नियत करनेवाले व उस जगह के रहनेवाले जहां पर डाकखाना नियत है और दूसरे लोग कि जिनको डाक विभाग से संबंध नहीं है एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट नियुक्त किये जा सकते परन्तु शर्त्त यह है कि कोई व्यक्ति जिसके पास नौकरी के स्वतन्त्र [illegible] न हो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट नियुक्त न किया जाय। जिन जगहों को ब्रांच पोस्टमास्टरी का काम पूरा [illegible] जाय उनको चाहिए कि डाक विभाग के कुल मामलों में [illegible] पोस्टमास्टर हर प्रकार ऐसी कि सूरत हो और एक्टिंग अफिसर के पोस्टमास्टर के हुक्मों की तामील करें।

६५—अमानत को परसनल डांट में दी जाती है—ब्रांच पोस्टमास्टर किसी कि अमानत परसनल डांट में दी है, इस बात के लिये बाध्य किया जाता है कि ऐसी [illegible] में वह तुरन्त सूचना दे व्यक्ति उसकी अमानत धरनेवाला मरे या दिवालिया हो जाय या अपनी [illegible] करे। ब्रांच पोस्टमास्टर यदि अपनी अमानतदार के मृत्यु की या उसके दिवालिया होने की [illegible] जान करके सूचना न देवे, तो वरतारस किये जाने का मुस्तहक हो जावेगा।

६६—बबाई व छूतिहा व चिन बिलानेवाली बीमारियों व रोगों की रिपोर्ट करना—(१) यदि किसी कर्मचारी चिट्ठीरसां या चिट्ठीरसों [illegible] ब्रांच पोस्टमास्टर [illegible] के घर में कोई बबाई या छूतिहा बीमारी (जैसे चेचक) हो, तो उसको चाहिए कि इस बात की इत्तिला फौरन अपने ऊपर वाले अफसर को करे और वह अफसर उसको [illegible] करके [illegible] से थोड़े दिनों के लिये पृथक कर देवे। ब्रांच पोस्टमास्टर को चाहिए कि यदि किसी चिट्ठीरसां या चिट्ठीरसां देहाती के घरमें इस प्रकार की बीमारी हो, तो [illegible] फौरन किसी वाजबी को उसकी जगह एवजी नियुक्त कर दे।

(२) यदि किसी कर्मचारी को कोई चिन बिलानेवाली बीमारी (जैसे [illegible]) हो, तो वह उसकी इत्तिला फौरन अपने ऊपरवाले अफसर को करे तथा अफसर इस बारे में किसी [illegible] की राय लेने का बंदोबस्त करे।

६७—एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल ब्रांच पोस्टमास्टरों की छुट्टी की [illegible]

(अ) एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल ब्रांच पोस्टमास्टर की छुट्टी की [illegible] फार्म ए० डी० [illegible] ४५ ही में तैयार करना चाहिए और सम्बन्धीय इन्सपेक्टर [illegible] की रोक में [illegible] करनी चाहिए। उसको तीन वर्ष तक कायम रखना चाहिये उस समय से अलग कि एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच पोस्टमास्टर का सम्बन्ध मोहकमे से खतम हो जाय।

(आ) जब किसी डाकखाने का चार्ज किसी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच पोस्टमास्टर से उसके मुख्तार, नौकर या उसके मनोनीत व्यक्ति या किसी कर्मचारी मोहकमे को हस्तान्तरित किया जावे तो वह व्यक्ति जो चार्ज लेवे उसको चार्ज रिपोर्ट पर दस्तखत करने से पूर्व कुल [illegible] और कुल [illegible] के हिसाबों की जांच [illegible] डाकखाना और कुल [illegible] कर देना चाहिये और कुल डाकखाने जो हाथ में हों उनका मिलान कर लेना चाहिये। [illegible] रुपयों, स्टाम्प और अन्य मूल्यवान वस्तुएं जो डाकखाने की हों उनको अपनी [illegible] में [illegible] चाहिये और चार्ज लेने वाले और चार्ज देनेवाले कर्मचारियों को नियमानुसार चार्ज रिपोर्ट [illegible]

6/2/06

[illegible]

[illegible]

[illegible] 22/12/05

[illegible]

[illegible] 12/3/05

[illegible]

(86)

न्यायालय श्री मान सिविल जज महोदय उन्नाव

दी० मु० नं० 123/85

पेशी 3-5-86

75 P. COURT FEE 75 P. — 75 P. COURT FEE 75 P.
भारत INDIA
पचहत्तर पैसे 75 PAISE — पचहत्तर पैसे 75 PAISE
COURT FEE STAMP CANCELLED

2-1-5 9
12-2-86

मन्नीलाल जिगर — वादी

बनाम

मुनिमन आदि — प्रतिवादीगण

श्री मान जी,

सेवा में निवेदन है कि उक्त मुकदमे में पेशी 3-5-86 मुकर्रर है। मुकदमे में दरख्वास्त हुकुम इम्तनाई चन्दरोजा का फैसला होना है। यदि दरख्वास्त हुकुम इम्तनाई चन्दरोजा पर शीघ्र आदेश न पारित किया गया तो अर्थी को सख्त हर्जा होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में न हो सकेगी। अतः लिहाजा यह आवश्यक है कि दरख्वास्त हुकुम इम्तनाई चन्दरोजा के फैसले के लिए कोई जल्दी की पेशी मुकर्रर की जावे।

प्रार्थना: श्री मान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त मुकदमे में तारीख पेशी 3-5-86 के बजाए कोई जल्दी की तारीख प्रदान की जावे।

प्रार्थी
मन्नीलाल जिगर
वादी
द्वारा: श्री एल० एन० निगम
एडवोकेट उन्नाव

12/2/86

S.C.C. No. 123/85

REGISTERED/A.D.

No. C.A.T./Alld./Record/1/86/2734
Central Administrative Tribunal
~~Bench~~ Allahabad Bench.

23-A Thornhill Road,
Allahabad.

Dated. 21-5-86

To,

The Civil Judge,
Unnao.

Sub: Return of orginal file together with application dated 24.4.86 in Regular Suit No. 123 of 1985(Mani Lal Nigam Vs. Union of India and Another) Distt.- Unnao.

Sir,

I am directed to return herewith the record of the case referred to above for favour of further necessary action. The plaintiff has moved an application dated 24-4-86 stating that he is an extra departmental branch Post Master on contract and not a salarised employee of the Opposite Parties and hence his case should be heared and decided by the Civil Judge, Unnao. His request is also attached herewith, in original.

Kindly acknowledge the receipt of the record at an early date.

Encl.- As Above.

Yours faithfully

(A.K.DUTTA)
Deputy Registrar.

~~No. C.A.T./Alld./Record/2/86/ of dated.~~

Copy to:-

The Section Officer, Judicial I, for information.

(A.K.DUTTA)
DEPUTY REGISTRAR.

Make entry in register about receipt of the said record
20.7.86
Fix a date for hearing
Counsel be informed
3/8/86

दी० मु० नं० 123 सन 84

श्री मान सिविल जज महोदय

रतलाम।

COURT FEE 1 Re. भारत 1 रुपया ONE RUPEE CANCELLED

COURT FEE 25 भारत 25 पैसे 25 PAISE CANCELLED

COURT FEE 25 INDIA 25 पैसे 25 PAISE

वादी मन्नीलाल ——— वादी

बनाम

यूनियन आफ इन्डिया आदि ——— प्रतिवादीगण

श्री मान जी,

सेवा में वादी का कथन निम्नलिखित है:-

धारा 1:- यह कि वादी ने मौजूदा दावा इस आधार पर दायर किया है कि वह एकस्ट्रा डिपार्टमेन्टल एजेन्ट के रूप में एक मुआहिदे के अनुसार नियुक्त किया गया है। उसेवा केवल भत्ता प्राप्त होता है और कमीशन के आधार पर काम करता है। वादी को कोई मासिक वेतन नहीं दिया जाता है।

धारा 2:- यह कि वादी पर डाक तार विभाग द्वारा बनाये गये सेवा नियम लागू नहीं होते हैं क्योंकि वह केवल मुआहिदे के आधार पर ही कार्यरत रहता है। वादी की हैसियत केवल एकस्ट्रा डिपार्टमेन्टल एजेन्ट की है।

धारा 3:- यह कि श्री मान जी ने बिना वादी को सुने हुए ही मुकद्दमें को सर्विस ट्रिब्युनल में भेजने का आदेश पारित किया है जो कि किसी भी रूप में सही नहीं है। सर्विस ट्रिब्युनल में उन्हीं लोगों का मामला तय होगा जिनपर कि सेवा नियम लागू होते हैं और जो केन्द्री सरकारी कर्मचारी

की श्रेणी में आते है वादी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी नहीं है वह केवल एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल एजेन्ट है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि दिनांक १५-१-८६ का आदेश वापस लिया जावे और वादी के मुकदमा की पत्रावली वापस मंगा कर मुकदमा इसी न्यायालय में सुना जावे।

प्रार्थी

मन्नी लाल चावडी

द्वारा

बाबू एल० एन० निगम

एडवोकेट, उन्नाव

दिनांक

२४-४-८६

न्यायालय श्रीमान सिविल जज महोदय, उन्नाव

दीवानी वाद सं0-123/85

2-1-50
2-7-86

मन्नीलाल . . . . . वादी

बनाम

यूनियन आफ इन्डिया आदि . . . . . प्रतिवादीगण

श्रीमानजी,

सेवा मे प्रार्थी का कथन निम्नलिखित है:-

1- यह कि वादी ने मौजूदा दावा इस आधार पर दायर किया है कि वह एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल एजेन्ट के रूप मे एक मुआहिदे के अनुसार नियुक्त किया गया है उसको केवल भत्ता प्राप्त होता है और कमीशन के आधार पर काम करता है वादी को कोई मासिक वेतन नही दिया जाता है ।

2- यह कि वादी पर डाक तार विभाग द्वारा बनाये गये सेवा नियम लागू नही होते है बल्कि वह केवल मुआहिदे के आधार पर ही कार्यरत रहता है वादी की हैसियत केवल एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल एजेन्ट की है ।

3- यह कि श्रीमानजी ने बिना वादी को सुने हुये ही मुकदमे मे सर्विस ट्रिबुनल में भेजने का आदेश पारित किया है जो कि किसी भी रूप मे सही नही है सर्विस ट्रिबुनल में उन्ही लोगो का मामला तय होगा जिन पर कि सेवा नियम लागू होते है और जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी की श्रेणी मे आते है वादी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी नही है वह केवल एक्स्ट्रा डिपार्टमेन्टल एजेन्ट है ।

4- यह कि प्रार्थी ने दिनांक 1.5.86 को से.ऐ.ट्रि. इलाहाबाद को प्रार्थनापत्र दिया था कि मुकदमे की मिसिल वापस श्रीमान सिविल जज महोदय उन्नाव को भेज दी जावे लेकिन काफी दिनो तक मिसिल नही आई प्रार्थी ने फिर ट्रिबुनल को रजिस्ट्रीशुदा पत्र दिनांक 13.5.86 को भेजा और स्वयं भी वहां जाकर बात की तो उन लोगो ने यह कहा कि अदालत के आदेश के बिना मिसिल नही भेजेगे ।

5- यह कि मिसिल का सेन्ट्रल टिबुनल से मंगायाजानाआवश्यक है।

अत: प्रार्थना है कि उपरोक्त मुकदमे की मिसिल सेन्ट्रल प्रशासनिक टिबुनल से मंगाये जाने का आदेश प्रदान करे ।

प्रार्थी
मन्नीलाल निगम (विश्वनाथ)
वि0 खेड़ापुरनरी उन्नाव

दिनाक: 2.7.86ई0

द्वारा: बाबू एल.एन.निगम, एडवोकेट उन्नाव

न्यायालय श्री मान सिविल जज महोदय उन्नाव
दी० मु० नं० 123 सन 85 ई०

ग 48

(91)

मन्नीलाल निवास ———————— वादी

बनाम

यूनियन आफ इंडिया आदि ———————— प्रतिवादीगण

श्री मान जी,

निवेदन है कि उक्त वाद में वादी की ओर से जो दरख्वास्त दि० 24-8-86 ई० को दी गई है उसके विरुद्ध निम्नलिखित आपत्तियाँ हैं।

धारा 1 :— यह कि वादी ब्रान्च पोस्ट मास्टर के पद पर कार्य करता था और उसके डिटामडिमेन्ट के आदेश हो चुके हैं।

धारा 2 :— यह कि ब्रान्च पोस्ट मास्टर का पद केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सिविल पोस्ट का पद है और मौजूदा दावा सेण्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल द्वारा ही निर्णीत किया जा सकता है और माननीय न्यायालय को उसके वाद के निर्णय का अधिकार प्राप्त नहीं है।

धारा 3 :— यह कि वादी की दरख्वास्त गलत व बेबुनियाद है।

अतः प्रार्थना है कि दरख्वास्त वादी खारिज फरमाई जावे।

प्रार्थी
यूनियन आफ इंडिया आदि
(प्रतिवादीगण)
द्वारा श्री सुरेश कुमार निगम
डी० जी० सी० (सि०) उन्नाव

दि० 11-2-86 ई०

न्यायालय श्री मान सिविल जज महोदय उन्नाव
दी० मु० नं० 123 सन 85 ई०
मन्नीलाल निगम बनाम यूनियन आफ इंडिया

नोटिस वकील

न्यायालय सिविल जज उन्नाव

दीवानी वाद सं 123 सन् 85

मन्नी लाल v/s. यूनियन आफ इंडिया आदि

पेशी 13.8.86

बनाम : श्री सुरेश कुमार निगम प्रतिवादी वकील DGC (C...

उक्त वाद में आप प्रतिवादी की ओर से वकील मुकर्रर हैं। आप उक्त वाद की पैरवी हेतु न्यायालय में हाजिर हों।

8/8/86

न्यायालय श्री मान सिविल जज सीनियर डिवीजन

दी० मु० नं० 123/85

पेशी 23-12-85

पृ-16

(92)

मन्नी लाल बिगड़ ———— वादी

बनाम

पुलिस फार्म इण्डिया आदि ———— प्रतिवादीगण

3-75 का तलबाना तथा अचिता

नोटिस व 2 रुपये मुकदमा दरखास्त व तलबाना

वास्ते तामील प्रतिवादीगण दाखिल किया

जाता है।

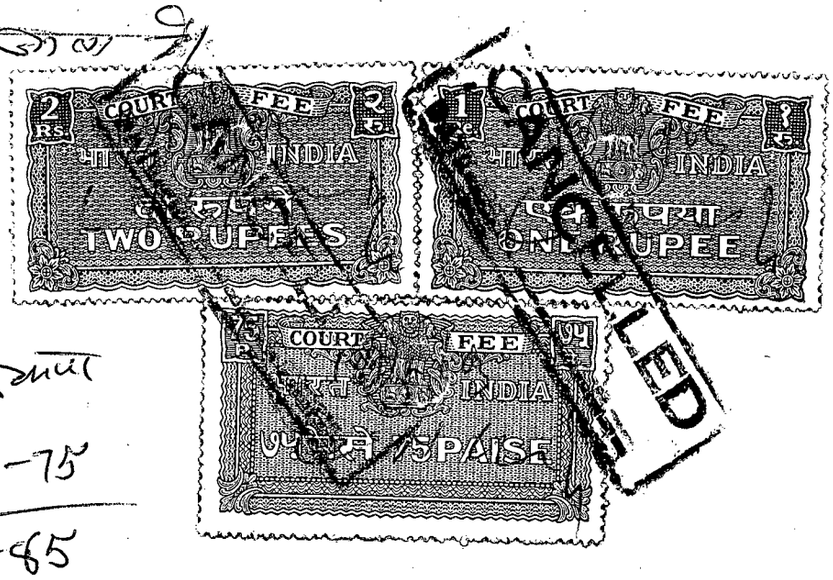

दिनांक
23-3-75
19-12-85

तलबाना सही है।
पेशकार सिविल जज
19-12-85

प्रार्थी
मन्नी लाल बिगड़
वादी
वकील
रवि एन्ड कम्पनी
[illegible]

10/12/85
19/12/85

बीमा नहीं NOT INSURED

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य रु० 3.15 पै०
Amount of Stamps affixed Rs. P

एक रजिस्टर्ड पत्र प्राप्त किया
Received a Registered The Supdt. of Post Offices

पानेवाले का नाम Campur
Addressed to

पानेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

क्रमांक/No. 2-19

4182 2

तारीख मोहर
Date Stamp

बीमा नहीं NOT INSURED

लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य रु० 3.15 पै०
Amount of Stamps affixed Rs. P.

एक रजिस्टर्ड पत्र प्राप्त किया
Received a Registered The Director P&T Dept. Delhi

पानेवाले का नाम
Addressed to

पानेवाले अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Receiving Officer

क्रमांक/No. 2-19

41833

तारीख मोहर
Date Stamp

24/12/85

अनुबन्ध यह है कि जब ऐसी प्रतियों के प्रकार में पैसे की [illegible] लगाये जाने [illegible] वाले मदांक का मूल्य ऐसी रकम से एक पैसा अधिक होगा।

आवेदक के लिए अनुदेश आ[illegible] की पूर्ति में जितनी परिशुद्धता आप कर सकें, करें।

न्यायाल[illegible] शीर्ष मदांक

[illegible] के न्यायालय में,

बनाम

मुन्सरिम को,

निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रत्येक दस्तावेज को एक-एक प्रमाणित प्रति मुझे देने की कृपा करें जिसके निमित्त में इसके साथ ---रुपया---पैसे मूल्य के प्रति-पत्र दे रहा हूं।

~~मामूली~~

यह आवेदन----------है। मैं बाद में पक्षकार हूं/नहीं हूं।

आवश्यक

बाद की रजिस्टर में दी गई संख्या और उसका वर्ष	पक्षकारों के नाम	दिनांक अन्तिम आज्ञप्ति या आदेश का यदि पारित	उस दस्तावेज का अभिवर्णन जिसकी प्रति वांछित हैं	उद्देश्य, जिसके लिए प्रति अपेक्षित है या आधार दिन पर आवेदन स्वीकार होना चाहिए

दिनांक [illegible] आवेदक के हस्ताक्षर

प्रत्येक आवेदक में जो कि डाक द्वारा भेजा जाय, आवेदक-

(१) आवेदन में, पूरा पता देगा।

(२) कथन करेगा कि क्या प्रति प्राप्त करने के लिए वह स्वयं उपस्थित होगा या वो चाहता डाक द्वारा भेजी जावे।

(३) एक सम्यकरूपेण टिकट लगा और पता लिखा पोस्ट कार्ड भेजेगा, जिसके द्वारा उसको, उसके प्रति के लिए आवेदन, पर यदि कोई अतिरिक्त प्रभार दिया जाना हो, तो उसकी सूचना दी जा सके और

(४) उस दशा में जब कि कागज डाक द्वारा भेजे जाने हों एक सम्यकपेण टिकट लगा और पता लिखा हुआ लिफाफा भेजेगा।

टीपन-यदि अतिरिक्त प्रभार सूचना निकाले जाने के दिनांक से १५ दिन के भीतर न दिये जायें तो प्रति के लिए आवेदन स्वीकृति कर दिया जाना चाहिए लिफाफा आवेदक को उसके आवेदन की अस्वीकृति के आदेश की सूचना देने में प्रयोग किया जाना चाहिए।

(राजकीय मुद्रणालय, उ०प्र० इलाहाबाद में मुद्रित) (मूल्य ५ पैसा प्रति कापी)

पी एस० यू० पी० उच्च० न्या०-२९-११-७६-एच०सी०जे०फार्मन० ११७, पार्ट ६ ई-५०० ००० (टी० सी०)

नोट - उक्त लिखित में ता० 3-11-[illegible] इलाहाबाद कोर्ट के लिए लगा है।

इम्बालराम

24.9.86

URGENT

न्यायालय श्री मान सिविल जज महोदय उन्नाव

3

ISSUE COPY
COPY WILL BE READY PROBABLY
BY
APPLICANT INFORMED TO APPEAR

(96)

जीना अदालत = श्री मान सिविल जज महोदय उन्नाव

मुकदमा नम्बर = दी० मु० नं० १२३ सन ८५ ई०

नाम फरीकैन = बन्नीलाल निवास बनाम मुनिमन खाक
हेडिमा आदि

तारीख फैसला = दि० २३-९-८६ ई०

वादित कागज = १- नकल आदेश मय निर्णय दि०
२३-९-८६ ई०

श्रीमान जी
सवाल है 17/24.9.86
के सम्बन्ध में
गोजा जा चुका है

प्रार्थना है कि कार्य सरकार हेतु नकल आदेश मय निर्णय दि० २३-९-८६ ई० तुरन्त देने की कृपा की जावे।

दि० २५-९-८६ ई०

प्रार्थी
सुरेश कुमार निवास
की० जी० सी० सिविल,
उन्नाव

Rajesh

BEFORE THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

ADDITIONAL BENCH AT ALLAHABAD.

@@@@@@@@@@@

CIVIL MISC. APPLICATION NO. _____ OF 1987.

On behalf of:

Union of India and others .....Applicant

In

Registration Case No.1635 of 1986(T).

Manni Lal Nigam .....Plaintiff/applicant

Vs.

Union of India and others .....Respondents.

To,

THE HON'BLE THE VICE-CHAIRMAN

&

HIS OTHER COMPANION MEMBERS OF THIS HON'BLE TRIBUNAL

The humble application of the abovenamed applicant most respectfully showeth:

1. That in view of the facts and circumstances stated in the accompanying counter affidavit it is expedient and necessary in the interest of justice ~~a~~ that the aforesaid Registration Case no . 1635 of 1986 (T) transferred from the trial court may be dismissed.

P R A Y E R

It is, therefore, Most Respectfully Prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to dismiss the Registration Case No. 1635 of 1986(T) transferred from the trial Court.

Dt: Nov.,1987

(N.B.SINGH)
Senior Standing Counsel

1988
AFFIDAVIT
13
HIGH COURT
ALLAHABAD

BEFORE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL ADDITIONAL BENCH

AT ALLAHABAD.

@@@@@@@@@@@@@@

C O U N T E R A F F I D A V I T

(On behalf of Union of India and others)

IN

Registration Case No. 1636 of 1986 (T).

Manni Lal Nigam .....Plaintiff/applicant

Vs.

Union of India and others.....Respondents.

AFFIDAVIT of N.K.Katty,
aged about 50 years son
of Krustachanya. M Kat
at present posted as
Superintendent of Post Office
Kanpur Muffasil Division,
Kanpur.

(Deponent)

I, the deponent abovenamed, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is Superintendent of Post Offices, Kanpur Muffasil Division, Kanpur and has been duly authorised to file the instant counter-affidavit and as such is well acquainted with the facts deposed to below.

2. That the deponent has read and understood the contents of the plaint filed by plaintiff, namely, Manni Lal Nigam and as such is in a position to reply to the same.

3. That before giving parawise reply of the plaint it is necessary to give brief facts of the case with a view to facilitate this Hon'ble Tribunal.

4. That Sri Manni Lal Nigam son of Sri Biswa Nath, resident of Shekhpur Nari District Unnao applied for the post of EDBPM Shekhpur Nari on 18.10.1949 stating that he had adequate knowledge of Hindi and English and that his age was 37 years. According to D.G.Comm No.43-84/80-Pen dated 30.1.80 an extra departmental EDBPM Can continue in service till the age of 65 years. ASPO's Unnao vide his letter No. A/Shekhpur Nari dated 30.7.84 informed that Sri Manni Lal Nigam

EDBPM Shekhpur Nari had completed 65 years of age and accordingly he was ordered to be retired on 2.8.84. The employee however refused to make over the charge to O/S deputed for the purpose. Latter on some papers relating to service particulars of Shri Manni Lal Nigam have been traced out in which his date of birth was noted as 28.12.1920 and as such the retirement order issued on 2.8.1984 was withdrawn and Sri Manni Lal Nigam was permitted to continue as BPM, Shekhpur Nari till completion of age 65 years i.e. 27.12.1985.

5. That the deponent now gives a parawise reply to the plaint.

6. That the contents of paragraphs 1 and 2 of the plaint are admitted.

EBBPM Shekhpur Nari had completed 65 years of age and accordingly he was ordered to be retired on 2.8.84. The employee however refused to make over the charge to O/S deputed for the purpose. Latter on some papers relating to service particulars of Shri Manni Lal Nigam have been traced out in which his date of birth was noted as 28.12.1920 and as such the retirement order issued on 2.8.1984 was withdrawn and Sri Manni Lal Nigam was permitted to continue as BPM, Shekhpur Nari till completion of age 65 years i.e. 27.12.1985.

5. That the deponent now gives a parawise reply to the plaint.

6. That the contents of paragraphs 1 and 2 of the plaint are admitted.

7. That the contents of paragraph 3 of the plaint are not admitted. It is submitted that at the time of appointment i.e. on 18.10.1949 the plaintiff himself mentioned his age as 37 years in his application for appointment. Thereafter, when the ~~xxxxxxxxxx~~ plaintiff was being given charge in the Post & Telegraph Office (department) as Branch Post Master, Shekhpur Nari, District

Unnao he filled in a form mentioning therein his date of birth as 28th of December, 1920, in his own hand-writing. This date of birth i.e. 28th of December, 1920 submitted by him in his own hand-writing was made a part of service record. Thus, as per the service record of the plaintiff his date of birth is 28.12.1920 and as such the petitioner is entitled to continue in service only 27.12.1985 i.e. the date of completion of age of 65 years. It is further submitted that the aforesaid form was not only filled in by the plaintiff in his own hand-writing, but it was also singed by him. The original copy of this form is on record, which was filed before the trial Court, which has now been transferred to this Hon'ble Tribunal.

8. That the contents of paragraph 5 of the plaint are denied. It is submitted that the order dated 2nd of August, 1984 for the retirement of the applicant was issued due to inadvertant mistake and when this mistake was revealed to the department, the department withdrew the aforesaid order of retirement dated 2nd of August, 1984.

9. That the contents of paragraph 5(a) of the plaint are denied. It is totally false

and baseless to say that the entry in the record is manipulated or forged by the department. The form, which was filled in by the applicant at the time of appointment ~~mentioned~~ mentioning therein the date of birth as 28th of December, 1920 in his own hand-writing was made a part of the service record of the applicant and is on the record of the instant case.

10. That the contents of paragraph 5(b) of the plaint are denied. A perusal of the service record of the applicant really goes to show that the date of birth of the applicant ~~is 28.12.1987~~ is 28th of December, 1920.

11. That the contents of paragraph 5(c) of the plaint are denied. It is absolutely incorrect to state that the plaintiff was born on 4th June, 1925. As per statement of the plaintiff himself, which was given by him before the department, while he was giving discreptive particulars at the time of taking charge, his date of birth is 28.12.1920. Further the plaintiff have failed to prove by any valid document that his date of birth is not 28.12.1920.

by mistake, which was withdrawn by the department, when the mistake was noticed by it.

16. That in reply to the contents of paragraph 9 of the plaint it is submitted that the earlier suit, which was filed by the applicant in the year 1984 was incompetent as no notice under section 80 of the Civil Procedure Code was given to the department before filing the suit and as such the Court returned the same with the order that a fresh suit may be filed after giving the notice to the department under section 80 of the Code of Civil Procedure.

17. That the contents of paragraph 10 of the plaint are admitted.

18. That in reply to the contents of paragraph 11 of the plaint it is submitted that the plaintiff/applicant has filed the present suit after giving notice under section 80 of the Code of Civil Procedure on 16.10.1985 challenging the order of retirement from 27.12.1985. It is however, relevant to mention here that the present suit, which was filed

on 16.11.1985 was not competent and maintainable due to enforcement of the Central Administrative Tribunal Act from Ist of November, 1985 and as such the Court had no power to entertain the present suit and infact, the present suit should have been outrightly dismissed instead of being transferred to this Hon'ble Tribunal. The suit which was filed before the trial Court and now has been transferred to this Hon'ble Tribunal, illegally, is liable to be dismissed on this preliminary ground alone that the suit was not maintainable before the trial Court, since it was filed after the enforcement of the Central Administrative Tribunal Act, 1985.

19. That the contents of paragraph 12 of the plaint are admitted.

20. That in reply to the contents of paragraph 13 of the plaint it is submitted that the plaintiff/applicant is not entitled for any relief, claimed in the suit filed in the trial Court. As per the service record of the applicant his date of birth is 28.12.1920 and, therefore, after completion of age of 65 years he has no right to continue in service and, ~~therefore~~ is liable to be retired on 27.12.1985.

A19
(157)

I, the deponent abovenamed, do hereby swear and declare that the contents of paragraphs 1 to 3, 5 of this affidavit are based on personal knowledge, and the contents of those of paragraphs 4, 6 to 19 of this affidavit are based on information received from perusal of records; whereas the contents of those of paragraphs 20 of this affidavit are based on legal advice, which all I believe to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed in it.

So help me God.

DEPONENT.

I, V.P. Tripathi, Clerk to Sri N.B. Singh, Senior Standing Counsel, Central Government, ~~MXXXXXXXX~~ do hereby declare that the person making this affidavit and alleging himself to be the deponent aforesaid is known to me from the perusal of papers procued by him before me in this case and I identify him to be the same person.

V.P. Tripathi

Clerk.

Solemnly affirmed before me on this 23

the 23 th day of ~~November, 1987~~ Feb 1988 at about 11.20 a.m./~~p.m.~~ by the deponent, who has been identified by the aforesaid person.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER.

S.T.Severe
12/7/7
23/2/88

BEFORE THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

ADDITIONAL BENCH AT ALLAHABAD.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

CIVIL MISC. APPLICATION NO._____ OF 1987.

On behalf of:

Union of India and others.....Applicants

In

Registration Case No.1635 of 1986 (T)

Manni Lal Nigam ....Plaintiff/applicant

Vs.

Union of India and others ....Respondents.

To,

THE HON'BLE THE VICE-CHAIRMAN

&

HIS OTHER COMPANION MEMBERS OF THIS HON'BLE TRIBUNAL.

The humble application of the abovena applicant most respectfully showeth:

1. That in view of the facts and cir ces stated in the accompanying counter affida expedient and necessary in the interest of that the aforesaid Registration Case No.16 1986 (T) transferred from the trial Court dismissed.

P R A Y E R

It is, therefore, most respectfully prayed that this Hon'ble ~~Court~~ Tribunal may be pleased to dismiss the Registration Case No.1635 of 1986 (T), transferred from the trial Court in this Hon'ble Tribunal.

Dt: th Nov.,1987

(N.B.SINGH)
SENIOR STANDING COUNSEL

1988
AFFIDAVIT
14
HIGH COURT
ALLAHABAD

BEFORE THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

ADDITIONAL BENCH AT ALLAHABAD.

A F F I D A V I T

(On behalf of Union of India & others)

IN

Registration Case No.1636 of 1986(T).

Manni Lal Nigam ...Plaintiff/Applicant

Vs.

Union of India and others ...Respondents.

Affidavit of N.K.Katti,
aged about 50 years, son
of Nristecharya. M. Katti
at present posted as
Superintendent of Post Offices
Kanpur Muffasil Division,
Kanpur.

(Deponent)

I, the deponent abovenamed, do hereby solemnly affirme and state on oath as under:

1. That the deponent is Superintendent of Post Office, Kanpur Muffasil Division, Kanpur and has been duly authorised to file the instant ~~counter~~ affidavit and as such is well acquainted with the facts deposed to below.

2. That the deponent had read and understood the contents of the plaint filed by plaintiff, namely, Manni Lal Nigam and as such is in a position to reply to the same.

3. That the deponent is advised to file only a short counter affidavit.

4. That the instant application is not maintainable before this Hon'ble Tribunal and deserved to be dismissed.

5. That the Central Administrative Tribunal Act, 1985 had come in force ~~fro~~ with effect from 1.11.1985, meaning thereby that no suit in respect of Central Government employees in connection with their service can be entertaine in any other Court after 1.11.85.

6. That the present suit was ...

16.11.1985, therefore, the suit deserves to be dismissed instead of being transferred to the Tribunal Court.

7. That the Civil Court has wrongly transferred the case to the Hon'ble Tribunal instead of dismissing the suit.

8. That the Hon'ble ~~CA~~ Tribunal should dismiss the petition outrightly, without going into merit and demerit of the case, only on the ground that the suit was liable to be dismissed instead of being transferred.

9. That the respondents are filing this affidavit keeping their right reserve to file a detailed counter affidavit on merit of the case.

10. That the instant application is liable to be rejected outrightly by this Hon'ble Tribunal.

I, the deponent abovenamed, do hereby swear and declare that the contents of paragraphs 1 2 of ~~this~~ affidavit are

true to my personal knoeldge, and the contents of those of paragraphs 2 to 7 of this affidavit are based on information received from perusal of records; whereas the contents ~~of~~ those of paragraphs 8, 9, 10 of this affidavit are based on legal advice, which all I believe to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed in it.

So help me God.

DEPONENT.

I, V.P.Tripathi, Clerk to Sri K.B. Singh Senior Standing Counsel, Central Government do hereby declare that the person making this affidavit and alleging himself to be the deponent aforesaid is known to me from the perusal of papers produced by him before me in this case and I identify him to be the same person.

V.P.Tripathi
Clerk.

Solemnly affirmed before me on this 28th day of ~~November 1987 at~~ February 1988 about 11.35 a.m./~~p.m~~ by the deponent, who has been identified by the aforesaid person.

115

I have satisfied ~~mu~~ myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit, which has been read over.

OATH COMMISSIONER

COMMISSIONER FOR OATHS

OATH COMMISSIONER
HIGH COURT, HYDERABAD
23/7/2020

1988
AFFIDAVIT
91/192
HIGH COURT
ALLAHABAD

(116)

BEFORE THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

ADDITIONAL BENCH AT ALLAHABAD

******

REJOINDER - AFFIDAVIT

In

Registration Case No. 1635 of 1986 (T)

Manni Lal Nigam --- Plaintiff-Applicant

Versus

Union of India and others ---- Respondents.

REJOINDER-AFFIDAVIT of Manni Lal Nigam, aged about 62 years, son of Vishwanath Prasad, resident of Sheikhpur Nari, tehsil and district Unnao.

Received Copy
Senior Standing Counsel
Central Govt. High Court,
Allahabad.

29.2.88

I, the deponent above-named, do hereby solemnly affirm and state on oath as hereunder:

1- That the deponent is the plaintiff-applicant in the above-noted case and as such, he is fully acquainted with the facts deposed to below.

2- That the affidavit and counter-affidavit of Sri N.K. Katty have been read over, translated and explained to the deponent and, he, having fully understood the contents whereof, is in a position to reply the same.

3- That the affidavit filed in support of the application for dismissal of the case has been made on the incorrect statement of facts.

4- That it may be mentioned that originally the suit was filed on 21st of September, 1984 without servin notice, under section 80 of the Code of Civil Procedure, and after seeking permission, under section 80(2) of the

Code of Civil Procedure. During the pendency of the said suit, defendants alleged that there being no emergency for filing the suit without serving notice. The Court on that plea directed the return of the plaint for being filed after complying section 80 of the Code of Civil Procedure. Accordingly, the suit was returned to the plaintiff on 28.9.1985 under orders of the Court dated 3.9.1985 for presentation after complying the requirement of sub-section (1) of Section 80 of the Code of Civil Procedure. In this view of the matter, it cannot be said that the suit of the plaintiff-applicant (deponent) is not maintainable. Moreover, the contents of paragraphs 4 to 10 of the affidavit are matters of record and argumentative, which will be suitably replied at the time of the hearing of the case.

5- That the contents of paragraphs 1 to 3 of the ~~XXXXXX~~-affidavit and that of paragraphs 1 to 3 of the counter-affidavit, which shall, herein-after, be referred to as the affidavit, need no reply.

6- That the contents of paragraph 4 of the affidavit are wholly incorrect. It is false to suggest that in his application dated 18.10.1949 the deponent ever stated that his age was 37 years. The department is not producing that application of the deponent, which he had applied for his appointment as Extra Departmental Post Master. 28.12.1920 is also wrongly noted by the department on some papers, which has absolutely no truth nor any basis for the same. Rest of the allegations are matters of record.

7- That the contents of paragraphs 5,6,8,14,15, 17 and 19 of the affidavit need no reply.

8- That the contents of paragraph 7 of the affidavit are again incorrect. In reply, it is submitted

that it is false to suggest that the deponent ever gave out his age as 37 years in his application for appointment. That application is not being produced by the department. He has never filled any form in his hand-writing giving his date of birth as 28th of December, 1920. In-fact, his date of birth is 4th June, 1925 and as such, he has not completed the age of 65 years.

9- That the contents of paragraphs 9,10,11,12,13 and 20 of the affidavit are incorrect and in reply the contents of paragraphs 5(A),(B),(C),(D) and (E) of the plaint are reiterated. It is again asserted that the entry in the record has been manupulated and forged by the department as would be evident from the Form, which is kept in the sealed envelop on the record. It is also false to suggest that any descreptive particulars were given by the deponent at the time of his appointment. The application dated 18.10.1949 of the deponent is being suppressed by the department for the reason best known to them and as such, an adverse inference be drawn against the department. The document, which is kept in the sealed envelop, is not a genuine document, It has been forged.

10- That the contents of paragraphs 16 and 18 of the affidavit are matters of record and argumentative in nature, to which suitable reply shall be given at the time of the hearing of the case.

11- That the department has changed its version of the case from time to time and is taking the excuse of inadvertent mistake. There is absolutely no mistake anywhere. The department has suppressed the original application of the deponent for appointment. There appears to be mala fide intention of the department and on this ground alone, the claim of the plaintiff-applicant deserves to be allowed.

I, the deponent above-named, do hereby declare that the contents of paragraphs 1 to 11 of this affidavit are true to my personal knowledge; that those of paragraphs — of this affidavit are based on perusal of records; that those of paragraphs — of this affidavit are based on legal advice; that those of paragraphs — of this affidavit are based on information; which I believe to be true. No part of this affidavit is false and nothingmaterial has been concealed.

So help me GOD.

Deponent.

I, Girdhari Lal, clerk to Sri N.N.Singh, Advocate, High Court, Allahabad, do hereby declare that the person making this affidavit and alleging himself to be Manni Lal Nigam is known to me from perusal of papers which he has produced before me in this case and I identify him to be the same person.

L.T.I. of Deponent

Clerk. 24-2-88

Solemnly affirmed before me this 24th day of February, 1988 at 4-30 P.M. by the deponent, who is identified by the Clerk, aforesaid.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER.
High Court Allahabad
No.
Date 24.2.88

A21

120

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

ADDITIONAL BENCH

ALLAHABAD

Civil Misc.application no. of 1988

On behalf of

Manni Lal Nigam ... Applicant

IN

REGISTRATION CASE NO. 1635 of 1986 (T)

Manni Lal Nigam ... Plaintiff-Applicant

Vs.

Union of India & others ... Respondents.

Delivered copy
Manni Lal Nigam
Clerk to
Sri. N.B. Singh
S.S.C.
16-8-88.

To

The Hon'ble the Vice Chairman and other Hon'ble Member of the aforesaid Tribunal.

The humble application of the applicant abovenamed

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the full facts of the case have been given in the accompanying affidavit which may kindly be read in support of this application.

2. That in case this Hon'ble Tribunal finds

E. Hasiently

that the suit has wrongly been transferred to this Hon'ble Tribunal, then in that case the applicant craves the indulgence of this Hon'ble Court to exercise the powers under section 21(2) of the Administrative Tribunals Act,1985 and treat the transferred suit as a fresh petition before this Hon'ble Tribunal for which the applicant is willing and ~~XXXXX~~ prepared to pay the court fee as this Hon'ble Tribunal directs.

PRAYER

It is, therefore, most respectfully prayed that in case this Hon'ble Tribunal finds that the suit has wrongly been transferred to this Hon'ble Tribunal, then in that case the applicant~~s~~ craves the indulgence of this Hon'ble Tribunal to exercise powers under section 21(2) of the Administrative Tribunals Act,1985 and treat the transferred suit as a fresh application and the applicant is willing and prepared to pay the court fee as this Hon'ble Tribunal directs and the delay if any being bona-fide be kindly condoned

Date 16/8/85

COUNSEL FOR THE APPLICANT.

IN THE CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL

ADDITIONAL BENCH AT ALLAHABAD

Counter Affidavit

IN

CIVIL MISC. APPLICATION NO. OF 1988

IN

REGISTRATION CASE NO. 1635 of 1986 (T)

Manni Lal Nigam ... Plaintiff-applicant

Vs.

Union of India & others ... Respondents.

Affidavit of Manni Lal Nigam aged about 62 years s/o Sri Vishwanath Prasad, resident of Sheikhpur Nari, Tahsil and District Unnao.

(Deponent)

I, the abovenamed deponent do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That the deponent is the plaintiff-applicant in the above noted case and as such he is well acquainted with the facts of the case deposed to below.

2. That the deponent has gone through the

contents of the affidavit filed in support of the application filed by Union of India and have understood the contents thereof.

3. That ~~xxxx~~ the contents of paragraph 4 of the affidavit are not correct and are denied.

4. That regarding the contents of paragraphs 5,6, 7 and 8 of the affidavit it is stated that against the order of the respondents dated 2.8.1984 the applicant filed a suit being suit no.62 of 1984 in the court of Civil Judge,Unnao. The aforesaid suit was filed before the Commencement of ~~XX~~ Administrative Tribunals Act, 1985 (hereinafter referred to as the Act).

5. That as the aforesaid suit was filed without serving a notice under section 80 Code of Civil Procedure, the learned Civil Judge vide its order dated 3.9.1985 returned the suit for presentation after compliance of the provisions of section 80 Code of Civil Procedure. The suit was again filed on 16.11.1986 after compliance of the directions of the learned Civil Judge dated 3.9.1985. As such the suit in itself is of 1984 before the date of commencement of the Act.

A25/ 125

6. That in case this Hon'ble Tribunal finds that the suit has wrongly been transferred to this Hon'ble Tribunal, then in that case the applicant craves the indulgence of this Hon'ble Tribunal to exercise the powers under section 21(2) of the Act and treat the transferred suit as a fresh application before this Hon'ble Tribunal for which the applicant is willing and prepared to pay the court fee as this Hon'ble Tribunal directs.

I, the abovenamed deponent do hereby verify that the contents of paragraphs 1 to 6 of this affidavit are true to my personal knowledge, ~~those of paragraphs~~ _____ ~~are based on information received from records and those of paragraphs~~ _____ ~~are based on legal advice which~~ all I believe to be true. That no part of it is false and nothing material has been concealed.

So help me God.

Oath Commissioner
16.8.88
Civil Court

Deponent.

I, H.B. Singh, ~~clerk to Sri~~ Advocate hereby verify that the person making this affidavit and alleging himself to be Manni Lal Nigam is that person. I know him from the papers produced by him before me.

H.B. Singh Adv.

Solemnly affirmed before me this 16th day of August, 1988 at by the deponent who has been identified by the aforesaid clerk.

I have satisfied myself and examined that the deponent understands the contents of this affidavit.

Manni Lal Nigam
H.B. Singh
16.8.88

16.8.88

Identified
H.B. Singh
16/8/88 Adv.

OATH COMMISSIONER

न्यायालय सेन्टल एडमिनिस्ट्रेटिव टिब्युनल इलाहाबाद बेन्च लखनऊ।

मु0नं0 1635 सन 1986

मन्नी लाल निगम ———— बनाम ———— यूनियन आफ इण्डिया

महोदय,

बाबत वास्ते पेशी 29-5-92 के विषाय व मुकदमा की जानकारी

§1§ प्रार्थी ने खुद मुकदमा के विषाय मे वजुहात जो उसकी जानकारी के लिए आपकी सेवा मे खुद प्रेषित करने विषाय बनाया था वह भी इसी के साथ लगा है उसी तीसरे बेन्च पर उन्होने लिखा भी है एडवोकेट ने इसी के साथ लगा है।

§2§ मगर वकील साहब ने कहा नही पहिलये आप दरखास्त दाखिल करो। अप्लीकेशन जो 18-10-1949 को दिया विपक्षी ने लिखाया है वि विपक्षी का कहना कितुमने उम्र के विषाय मे लिखा है प्रार्थी का कहना कि खुद अपने हाथालिखा है।

§3§ अप्लीकेशन 28-10-91 को ली थी एक पोस्ट मास्टर व माल अधीक्षक महोदय 420 के विषाय मे दिया है दाखिल करना जरूरी है। उन्होने दाखिल किया है।

§4§ मुकदमा खातम होने बाद कहा तुम्हारी अप्लीकेशन दाखिल कर दी और रिपोर्ट 18-10-49 तलब किया जाये 30 अगस्त 1992,

§5§ उन्होने प्रार्थी से सादे वकालत नाम व वाट लैन तीन मे हस्ताक्षर लिए है 200 रूपये भी ले लिया है।

कुछ समय गुजर जाने के बाद हमने पता लगया मुकदमे के विषाय मे कुछ जानकारी नही मिली फिर भी कुछ समय के बाद गया मालूम हुआ कि मिसिल साहब के पास है न्याय के यहां से वापस कर घर आ रहा

2 पर ..

F-T. 10-8-92 (166)

Sri K.P. Singh

6/8/92

6/8/92 R.No. 490/92

था मगर रास्ते मे स्कूटरसे लड जाने की वजह से चलने नही पाता हूँ । इस लिए मजबूरन रजिस्ट्री द्वारा प्रेषित कर रहा हूँ।14 जून 1990 को सेवा समाप्त हो चुका हूँ।

§6§ अपने हाथो से लिखा लिखाकर इतना बडा तूफान बना दिया कि8 वर्ष हो चुके है हमारे मुकदमा किसी तरह से कमजोरी नही है।

अतः श्री मान जी से प्रार्थना है कि 29-5-92 को क्या हुआ तारीख दी है जैसा हो वैसा लिखारजिस्ट्री द्वारा या साधारण पत्र नही मिले जो आपके सेवा मे प्रार्थना पत्र प्रेषित कर रहा है।

महान दया होगी ।

प्रार्थी

मन्नी लाल निगम पुत्र

श्री विश्वनाथ प्रताप निगम

नि0 मो0शेखपुर नरी ,उन्नाव।

मन्नी लाल निगम

दिनांक - 9 - 8 - 92

न्यायालय सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इलाहाबाद बेंच लखनऊ ।
मुकदमा नम्बर- 1635 सन् 1986

मन्नी लाल निगम ------ बनाम ----- यूनियन आफ इण्डिया

महोदय,

प्रार्थी को एक नोटिस मिला 28-8-84 सेवा समाप्त का, हमने जवाब दिया, उम्र दाखिल करने का मौका मिले जवाब मिला 65 साल पूरे हो चुके है ।

(1) मजबूरन अदालत की शरण लेनी पड़ी, इस आधार पर दावा दायर किया। मेरी जन्म तिथि 4 जून 1925 है हमने 18-10-49 उम्र के विषय में नहीं लिखा।

(2) उन्होंने जवाबदावा लगाया कि 18-10-49 में 28 अप्रैल 1919 है और 37 साल लिखा है। दिनांक 28-8-84 का नोटिस वापस लेकर फिर जन्मतिथि 28-12-1920 दिखाया। फिर 27-12-85 तक काम कर सकते हो ।

(3) जवाब दिया कि यह सब झूठ है मेरी जन्मतिथि 4 जून 1925 है। पेशी बढ़वाते रहे है ।

(4) दफा 80 का नोटिस 2 माह का न देने पर दावा वापस कर दिया, फिर 2 माह का नोटिस देकर दुबारा दायर किया।

(5) सबूत की पेशी पड़ी, हमने और उन्होंने 1-1-86 को सबूत दाखिल किया है जो सर्विस के कब्ल निशानी अँगूठा व दस्तखत लिये जाते है। उत्तर सब काली स्याही से लिखा हुआ है और पुराना होने की वजह से फीकी पड़ गयी है। उसी को पहले लाल स्याही से 18-12-1920 फिर उसी को काट कर 28-12-20 लिखा है। कवर में बन्द है हमने परिवार रजिस्टर जन्म पत्री दाखिल किया

(6) आर्डर आने की वजह से ट्रिब्यूनल कोर्ट इलाहाबाद मुकदमा भेज दिया गया है। वहाँ के द्वारा रजिस्ट्री द्वारा कि मन्नी लाल की उम्र 59 साल की है बहस के लिए 31-12-86 मुकर्रर हुयी। फिर उन्होंने उज्र लगाया कि दावा यहाँ पर होना चाहिए। मगर फिर आपके यहाँ से तय हुआ कि दावा वही रहेगा। लाइन ओवर शियर एक परवाना

27-12-87 तक समाप्त [illegible] दिखाया ।

(7) दिनांक 19-1-88 को पत्र हमको लिखकर भेजा कि 18 अगस्त 49 देखकर न्याय की दृष्टि से चर्चा लेने का बाद न लिया जाये ।

(8) दिनांक 23-1-88 को श्री [illegible] अध्यक्ष [illegible] उन्नति [illegible] आये, चर्चा के विषय में कुछ नहीं कहा। दिनांक 25-1-88 स्पेशल [illegible] जी के [illegible] हमारे यहाँ आये [illegible] प्रधान [illegible] दिखाया। दिनांक 9 मई 1988 को रजिस्टरी [illegible] पास भेजी गयी थी। इन दिनांक 18-10-49 [illegible] विषय में लिखा है और न लाइन [illegible] विषय में लिखा है।

(9) आप ही के यहाँ से 18-10-1949 और 37 और 28-12-20 लिखा गया था। और 18-10-49 [illegible] करते हैं [illegible] 2-8-84 [illegible] नहीं प्रकट होता है। जिसकी [illegible] की गयी है [illegible] 420 है।

(10) दिनांक 20-10-88 [illegible] जाँच हेतु आत्म पर आत्म [illegible] 420 [illegible] हेतु। दिनांक [illegible]

(11) दिनांक 25-1-88 को दो आदमी [illegible] एक आदमी [illegible] करता है। दो वर्ष के बाद दूसरा बी.पी.एल. [illegible] गया है इसका - [illegible] परेशान गया है ।

(12) टेली फोन वाले [illegible] 20 रुपया अतिरिक्त [illegible] रहा है। अगर टेली फोन हमारे यहाँ [illegible] लगा हुआ है अगर तब भी 20 रुपये उसके बराबर पास करते रहे हैं ।

(13) असत्य पर असत्य क्रम कितनी जोर से चल रही है कि उसके सामने अलगाववादी आतंकवादी कोई चीज नहीं है अपनी बीती लिख रहा हूँ जितने हमने प्रार्थना पत्र दिया है आगे बढ़ते रहे हैं ।

श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र देखकर उचित कार्यवाही की जाय, जिससे भविष्य में खुल्लम खुल्ला गलती करने का साहस न हो। आज तक दिनांक 26-4-92 तक जाँच नहीं हुयी है।

A30
130

(14) दिनांक 15 मई 1991 को हमको श्रीमान एडवोकेट श्री कृष्ण शर्मा ने बताया कि 18-10-1949 लिखा हुआ एग्रीमेन्ट तलब हो चुका है कि उसके विषय में कागजात आपकी सेवा में प्रेषित। इसी बुनियाद पर मेरा मुकदमा नहीं हो पा रहा है।

श्रीमान जी से प्रार्थना है कि 31-12-86 को इलाहाबाद की बहस की तारीख मन्नी लाल की उम्र 59 वर्ष की है तब से कोई सबूत आज तक नहीं दाखिल हुआ है। श्रीमान जी आपके यहाँ फाइल में 1-1-86 कवर में बंद है वैसे 18-10-49 को अपने हाथों से क्या 2 लिखा हो। जिस आधार पर दावा किया था जिस आधार पर उन्होंने 18-10-49 में जवाब लगाया है कि दिनांक 18-10-49 में 28 अप्रैल 1991 में उम्र 37 साल है। दिनांक 2-8-84 का नोटिस वापस लेकर फिर जन्मतिथि 28-12-20 दिखाया है। उसी आधार पर सबूत देना चाहिए। सात आठ एडवोकेट बदल चुका हूँ काम नहीं किया है सब गलत बताते रहे और पेशी बढ़वाते रहे। सहायक अधीक्षक महोदय लाल बचन का कहना अगर मेरा तो मेरी हालत खराब प्राप्त न होती। अब मुकदमा फैसला करके जीवन का दान दीजिए। हमारा सब काम पोस्ट आफिस या वैसे अच्छा। मेरा कमीशन निकाला लाल बचन को काटक गया। कंगाल कर दिया। अच्छे काम की लाइन ओवर सियर का व सब पोस्ट मास्टर की लिखी हुई रसीद साथ में संलग्न है। वकील आने से इनकार कर दिया फैसला कर दिया जाय। महान कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रेषित	सेवा समाप्त	जन्मतिथि
1- 19-1-1988	1- 2-8-1984	28-4-1919
2- 9-5-88	2- 27-12-85	28-12-1920
3- 28-10-1991	3- 27-12-87	37 साल

29-5-1992.

दिनांक 27 अप्रैल 1992

मन्नीलाल निगम पुत्र विश्वनाथप्रसाद
ग्राम व पो० शेखपुर नरी, उन्नाव।
(उ०प्र०)

Mnilal Nigam

COURT FEE 1Re 50P भारत INDIA 1 RUPEE 50 PAISE

COURT FEE 50 P भारत INDIA 50 पैसे 50 PAISE

वकालत

नाम न्या	नम्बर मु व क	वादी	अपीलान्ट	प्रतिवादी व विपक्षी		
Central Trichinopoly Lucknow	1635 of 86	Manni Lal Nigam	Umar Ji Jaiswal			Mannu Lal Nigam S/o Vishwa Nath Prasad R/o Sheikhpur Nani Tehsil & Dist Unnao

मैंने / हमने उपरोक्त मुकदमा में अपनी इच्छा से स्वयं अपनी ओर से श्रीमान H. K. Verma Advocate

उनकी फीस स्वीकार करके अपना वकील निम्नलिखित अधिकारों के साथ नियुक्त किया।

१–कि वकील महोदय हमारी ओरसे अर्जीदावा बनाम तहरीरी यादस्तावेज अपील या अन्य कागजात या दस्तावेज इस्तगासा सब प्रकार के प्रार्थना पत्र (दरख्वास्त) दाखिलकरे या वापसले हमारी ओरसे मुकदमें की सब प्रकार मौखिक या लिखित कार्यवाही करे या जो उचित समझे वैसा जवाब दे या दूसरे से पूछे।

२–यह कि वकील महोदय हमारी ओर से मुकदमे की सब प्रकार की उचित और कानूनी पैरवी करें और जो कागजात दस्तावेज उचित समझे दाखिल करे या दाखिल किये हुये कागजात वापस ले और जो नकल आवश्यक समझे हमारे खर्च से प्राप्त करे और जहाँ आवश्यक हो हमसे रुपया लेकर दाखिल करे या दाखिल किया हुआ रुपया वापस लें या मेरा मुआयना या पुनर्वास मेरी ओर से अपने हस्ताक्षर करके उठावें और न्यायालय चकबन्दी में हर किस्म कार्यवाही जानिब से करे।

३–यह कि वकील महोदय हमारी ओर से डिगरी इजराय करावे और उसके सम्बन्ध में जो कार्यवाही उचित समझे करे और रुपया हमसे लेकर दाखिल करे या दाखिल किया हुआ रुपया हमारी ओरसे उठावे और रसीद दे दें।

४–यह कि वकील महोदय हमारी ओरसे सुलहनामा दाखिल कर सकते है। और इकबालदावा भी लगा सकते है। पंच भी नियुक्त कर सकते है और सुलहनामा में हमारी ओरसे दस्तखत भी कर सकते है।

५–यह कि वकील महोदय द्वारा की गई कार्यवाही हमको सर्वदा स्वीकार है और स्वीकार होगी उसकी की हुई कार्यवाही के हम सर्वदा उत्तरदाई (जिम्मेदार) है और होगें।

अतएव वकालतनामा लिख दिया हैं कि प्रमाण रहें और समय पर काम आवे।

तारीख 15-5-91

हस्ताक्षर / अंगूठा निशान

(१) साक्षी 30-7-91

(२) .....

(३) .....

(४) .....

Tribunal Bench Lucknow.

बअदालत श्रीमान महोदय

वादी (मुद्दई) Mannilal
मुद्दई (मुद्दालेह) का

वकालतनामा

Mannilal vs. U.O.I.
R.C. No. 1635/86

बनाम प्रतिवादी (रेस्पान्डेन्ट)

नं० मुदद्दमा सन पेशी की ता० १९ ई०

ऊपर लिखे मुकद्दमा में अपनी ओर से श्री D. S. Pandey Advocate
B-40 Sarvoday Nagar Lko. वकील
एडवोकेट महोदय

को अपना वकील नियुक्त करके (इकरार) करता हूं और लिखे देता हूं इस मुकद्दमा में वकील महोदय स्वयं अथवा अन्य वकील द्वारा जो कुछ पैरवी व जवाब देही व प्रश्नोत्तर करें या अन्य कोई कागज दाखिल करें या लौटावें या हमारी ओर से डिगरी जारी करावें और रुपया वसूल करें या सुलहनामा या इकबाल दावा तथा अपील व निगरानी हमारी ओर से हमारे या अपने हस्ताक्षर से दाखिल करें और तस्दीक करें या मुकद्दमा उठावें या कोई रुपया जमा करें या हमारी या विपक्ष (फरीकसानी) का दाखिल किया रुपया अपने या हमारे हस्ताक्षर-युक्त (दस्तखती) रसीद से लेवें या पंच नियुक्त करें वकील महोदय द्वारा की गई वह कार्यवाही हमको सर्वथा स्वीकार है और होगी। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि मैं हर पेशी स्वयं या किसी अपने पैरोकार को भेजता रहूंगा। अगर मुकद्दमा अदम पैरवी में एक तरफा मेरे खिलाफ फैसला हो जाता है उसकी जिम्मेदारी मेरे वकील पर न होगी। इसलिए यह वकालतनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

नाम अदालत .....
नं० मुकद्दमा .....
नाम फरीकैन .....

Mannilal
हस्ताक्षर

Accepted

साक्षी (गवाह) साक्षी (गवाह)

दिनांक महीना सन् १९ ई०

3-8-89

In the Hon'ble Central Administrative Tribunal Allahabad
Circuit Bench at Lucknow
Power on behalf of Mannilal Nigam

बअदालत श्रीमान _____ महोदय

in T.A. No. 1675 (T) of 1986

वादी (मुद्दई) Mannilal Nigam
मुद्दई (मुद्दालेह) का Vs Union of India & others

वकालतनामा

134

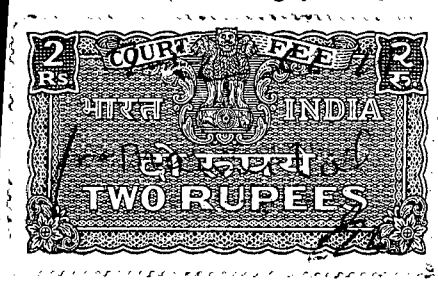

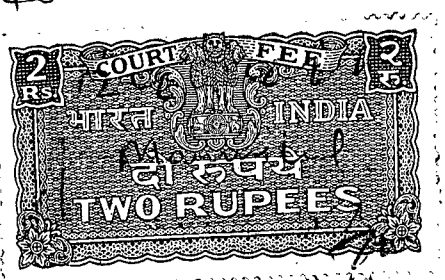

प्रतिवादी (रेस्पान्डेन्ट)

नं० मुदद्दमा सन पेशी की ता० १९ ई०

ऊपर लिखे मुकद्दमा में अपनी ओर से श्री एस.एन. श्रीवास्तव ~~वकील~~ एडवोकेट महोदय

को अपना वकील नियुक्त करके (इकरार) करता हूं और लिखे देता हूं इस मुकद्दमा में वकील महोदय स्वयं अथवा अन्य वकील द्वारा जो कुछ पैरवी व जवाब देही व प्रश्नोत्तर करें या अन्य कोई कागज दाखिल करें या लौटावें या हमारी ओर से डिगरी जारी करावें और रुपया वसूल करें या सुलहनामा या इकबाल दावा तथा अपील व निगरानी हमारी ओर से हमारे या अपने हस्ताक्षर से दाखिल करें और तस्दीक करें या मुकद्दमा उठावें या कोई रुपया जमा करें या हमारी या विपक्ष (फरीकसानी) का दाखिल किया रुपया अपने या हमारे हस्ताक्षर-युक्त (दस्तखती) रसीद से लेवें या पंच नियुक्त करें वकील महोदय द्वारा की गई वह कार्यवाही हमको सर्वथा स्वीकार है और होगी। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि मैं हर पेशी स्वयं या किसी अपने पैरोकार को भेजता रहूंगा। अगर मुकद्दमा अदम पैरवी में एक तरफा मेरे खिलाफ फैसला हो जाता है उसकी जिम्मेदारी मेरे वकील पर न होगी। इसलिए यह वकालतनामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

नाम अदालत .....
नं० मुकद्दमा .....
नाम फरीकैन .....

हस्ताक्षर _____

साक्षी (गवाह) _____ साक्षी (गवाह) मन्नीलाल निगम

दिनांक _____ महीना 2-7-90 सन् १९ ई०

Accepted
01/7/90
(S.N. SRIVASTAVA)
Advocate

Court fee remitted vide Notification No. M-1015/I-602(1)
Dated August 5, 1946 published in U.P. Gazette
Dated August 10, 1946, Part I, page 277.

17

Central Adm. Tribunal (OS No. 123/85)

IN THE ~~HIGH COURT JUDICATURE~~ AT ALLAHABAD.

Reg ..... No. 1635 ..... of 1986 (T)

District : Unnao

Mannilal Nigam — Petitioner/ Appellant/ Applicant/

VERSUS

Union of India and others. — Respondent/ Opposite Party

I, ~~[illegible]~~ NB Singh, Senior Standing Counsel for the Government of India (except Income Tax and Railways) at the High Court of Judicature at Allahabad, appear on behalf of :

The Government of India/Union of India/Central Government (except Income Tax aud Railways) and

Union of India.

.....

.....

.....

.....

Resondent(s)/Opposite Party (parties) Nos..... who is/are the Petitioner/Appellant/Applicant/Respondent/ Opposite Party in the aforesaid case.

30/12/86

Asstt. Supdt. of Postoffices
Unnao Sub Division
UNNAO-209801.

Dated:

NB Singh
~~[illegible]~~
Senior Standing Counsel
Government of India
High Court, Allahabad.

(30)

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA TWO RUPEES

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA TWO RUPEES

COURT FEE 1 Rs. भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

In the central Administrative Tribunal
Additional Bench Allahabad

~~न्यायालय राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश~~
इलाहाबाद

अपील / निगरानी 1634 (I) सन् १९८९ जिला उन्नाव

वादी प्रतिवादी

अपीलान्ट — मन्नी लाल निगम

बनाम

वादी-प्रतिवादी

रेस्पान्डेन्ट — भूमिधर आदि

मैं / हम कि मन्नी लाल पुत्र विश्वनाथ प्रसाद निगम ग्राम शेरपुर तरा, परगना व तहसील हसन जिला उन्नाव

उपरोक्त प्रकरण मैं / हम अपनी ओर के पक्ष समर्थन के हेतु

सर्वश्री नरेन्द्र नारायण सिंह व शिवेन्द्र नारायण सिंह एडवोकेट

को कानूनी / निश्चित शुल्क (मेहनताना) नियत करके अपना अभिभावक (वकील) नियुक्त करता हूँ / करते हैं और

यह स्वीकार करता हूँ / करते हैं कि उक्त सज्जन हमारी ओर से वाद-पत्र (अर्जीवाद), प्रतिवाद-पत्र (बयान) तहरीर, वाद स्वीकार पत्र, विवाद पत्र, पुनरवलोकन एवं पुनर्निर्णय प्रार्थना पत्र पर (दरख्वास्त) शापथिक कथन (हलफनामा) प्रवर्तन पत्र, (दरख्वास्त इजराय) मूजवात अपील निगरानी इत्यादि हर प्रकार के अन्य प्रार्थना पत्रादि एवं लेखादि की प्रतिलिपियां अपने हस्ताक्षर करके न्यायालय में प्रस्तुत करें अथवा किसी पर आवश्यकतानुसार शापथिक पुष्टी करण करें और आवश्यक सवाल जवाब करें और लेखादि की प्रतिलिपियां एवं हमारे प्राप्त धन की अपने हस्ताक्षर पावती देकर प्राप्त करें हमारी ओर से किसी को मध्य-पत्र, तथा साक्षी (गवाह) माने और उससे सम्बन्धित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें तथा उसका समर्थन करें तथा तसदीक करें वाद पत्र उठावे छोड़ अथवा समझौता करें तथा सुलहनामा दाखिल करें तथा उसके सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दाखिल करके उसका समर्थन करें अर्थात् प्रकरण से सम्बन्ध रखने वाली कुल कार्यवाही डिग्री के भर पाई होने के समय तक, स्वतः या संयुक्त करें। आवश्यकता होने पर किसी अन्य वकील महोदय को वकील करें।

उक्त सभी कार्यवाही जो उक्त सज्जन करेंगे प्रत्येक दशा में अपने किये की भांति हमको / मुझको सर्वथा स्वीकार होगी। अगर मैं कानूनी / हम निश्चित शुल्क उक्त सज्जन को न दे / दूं तो उनका अधिकार होगा कि वह हमारी ओर से मुकदमा की पैरवी न करें। उपरोक्त सज्जन का कोई उत्तरदायित्व न रहेगा। अतएव यह अभिभावक पत्र लिख दिया कि प्रमाण रूप से समय पर काम आये।

वकालतनामा मंजूर है।

तिथि 23 मास [illegible] सं० [illegible]

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

साक्षी

साक्षी

जय प्रिन्टर्स, ६२ चक (बहादुरगंज) इलाहाबाद

COURT FEE 1 Rs. भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

Central Administrative Tribunal

बअदालत

नम्बर मुकदमा 1635 सन् १९ 86 ई० (39) 137

नम्बर इजारा सन् १९ ई०

Mauni Lal Nigam मुद्दई

अपीलाचन्द

बनाम

Union of India & others मुद्दालय रेस्पान्डेन्ट

मैं/हम Mauni Lal Nigam S/o Sri Vishwa Nath R/o. Shekhpur Tah & Distt. Unnao.

निवासी

Sri C.P. Ghildyal

H.B. Singh 599-C, Mumfordganj Allahabad-2 एडवोकेट को

[redacted] एडवोकेट हाईकोर्ट इलाहाबाद

उपरोक्त मुकदमें की पैरवी के लिए मेहनताना अदा करने का वचन देकर मैं अपना वकील नियुक्त करता हूँ/करते हैं उक्त वकील महोदय को मैं/हम यह अधिकार देता हूँ/देते हैं कि इस मुकदमा में वह मेरी ओर से पैरवी करें आवश्यकता सवाल पूछें जवाब दें और बहस करें दस्तावेज व कागजात अदालत में दाखिल करें व वापस लेवें पचनामा उपस्थित करें, पंच नियुक्त करें यदि आवश्यकता हो तो पंच निर्णय का लिखित विरोध करें सुलहनामा दाखिल करें, दावा स्वीकार करें या उठा लेवें और डिग्री प्राप्त हो जाय तो उसे जारी करावें डिग्री का रुपया व खर्चा हर्जाना का रुपया या किसी दूसरी तरह का रुपया जो अदालत में मुझे/हमें मिलने वाला हो बसूल कर मेरा हमारी ओर से अदालत दाखिल करें, कोर्ट फीस व स्टाम्प देवें वा वापिस लेवें रसीद लेवें व प्रमाणित करें, नकल प्राप्त करें, अदालत की अनुचित मिसिल का मुआयना करें, आवश्यकता होने पर मुकदमा स्थापित करावें इस मुकदमें के सम्बन्ध में दूसरे काम जो जरूरी समझें करें पैरवी के लिए अपनी ओर से कोई दूसरे वकील को नियुक्त करें यदि आवश्यक हो तो अपील या निगरानी दायर करें और अपील निगरानी की अदालत में में पैरवी करें।

इस अधिकार पत्र के अनुसार उक्त वकील महोदय इस मुकदमें के सम्बन्ध में जो कुछ काम करेंगे वह सब अदालत में स्वयं हमारा किया हुआ समझा जायेगा और वह मुझे/हमें सदैव अपने ही किये के समान सुविधा मान्य होगा।

तारीख 4 माह 8 सन् १९ 88 ई०

स्वीकार है

हस्ताक्षर H.B. Singh

अदालत
मुकदमा नं०
बनाम

हस्ताक्षर ..... गवाह ..... गवाह .....

VAKALATNAMA

In the High Court of Judicature at Allahabad

SITTING AT LUCKNOW

COURT FEE — INDIA — 1 RUPEE 50 PAISE

COURT FEE — INDIA — TWO RUPEES

COURT FEE — INDIA — 1 RUPEE 50 PAISE

Munni Lal Begum — Applicant

VERSUS

Union of India & others — Opp. Parties

No. of 19

I/we the undersigned do hereby nominate and appoint Shri _____

and Shri SURENDRAN PADDO

Farooq Ahmad Advocate Advocate. to

be counsel in the above matter, and for me/us and on my/our behalf to appear, plead, act and answer in the above Court or any appellate Court or any Court to which the business is transfer in the above matter, and to sign and file petitions, statements accounts, exhibits, compromises or other documents whatsoever, in connection with the said matter arising there from, and also to apply for and receive all documents or copies of documents, depositions, etc. etc, and to apply for issue of summons and other writs or subpoena and to apply for and get issued any arrest, attachment or other execution warrant or order and to conduct any proceeding that may arise thereout and to apply for and receive payment of any or all sums or submit the above matter to arbitration.

f.T. 28/5/92

Provided, however, that, if any part of the Advocate's fee remains unpaid before the first hearing of the case or if any hearing of the case be fixed beyond the limits of the town, then, and in such an event my/our said advocate shall not be bound to appear before the court and if may/our said advocate deth appear in the said case he shall be entitled to outstation fee and other expenses of travelling, lodging, etc Provided ALSO that if the case be dismissed by default, or if it be proceeded ex parte, the said advocate(s) shall not be held responsible for the same. And all whatever my/our said advocate(s) shall lawfully do, I do here by agree to and shall in future ratify and confirm.

ACCEPTED :—

Signature of Client.....

1. .....Advocate

2. .....Advocate